दिनांक 11.05.2026 को नगर निगम, गुरूग्राम के सदन की सामान्य बैठक की कार्यवाही भेजने बारे।

पृ0 कमांकः–एम0सी0जी0/2026/सी0एस/237 **दिनांकः– 22/5/26**

उपरोक्त विषय पर दिनांक 11.05.2026 को प्रातः 11:00 बजे हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, सैक्टर–18, गुरूग्राम में हुई, नगर निगम, गुरूग्राम के सदन की सामान्य बैठक की कार्यवाही, आपको सूचनार्थ भेजी जा रही है।

1. श्रीमति राज रानी, माननीया महापौर, नगर निगम, गुरूग्राम।
2. राव इन्द्रजीत सिंह, माननीय सांसद, गुरूग्राम।
3. राव नरबीर सिंह, माननीय विधायक, बादशाहपुर।
4. श्री मुकेश शर्मा, माननीय विधायक, गुरूग्राम।
5. श्री तेजपाल तवंर, माननीय विधायक, सोहना।
6. श्रीमति बिमला चौधरी, माननीया विधायक, पटौदी।
7. सभी सम्मानित, सदस्यगण, वार्ड नं0 01 से 36/मनोनीत सदस्यगण, नगर निगम, गुरूग्राम।

(डा0 सिद्धार्थ खण्डेलवाल)
निगम सचिव
नगर निगम, गुरूग्राम

पृ0 कमांकः–एम0सी0जी0/2026/सी0एस0–238 **दिनांकः– 22/5/26**

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, चण्डीढ़।
2. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, पंचकूला।
3. उपायुक्त, गुरूग्राम।

(डा0 सिद्धार्थ खण्डेलवाल)
निगम सचिव
नगर निगम, गुरूग्राम

पृ0 कमांकः–एम0सी0जी0/2026/सी0एस–239 **दिनांकः– 22/5/26**

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को अनुलग्नक सहित भेजकर अनुरोध है कि सदन की सामान्य बैठक में आपके कार्यालय से सम्बन्धित पारित प्रस्तावों पर कार्रवाई करें तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दस दिन के अन्दर–अन्दर भिजवाने का कष्ट करें।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुरूग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम।
   (प्रस्ताव क0स0 4 (3) क, 4 (12) ख, 4 (13) ख, 4 (25) क, 9 (i))
2. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम।
   (प्रस्ताव क0स0 4 (1) ख, 4 (3) ख, 4 (9) क, 4 (10) क, 4 (13) क व ख, 4 (14) ख, 4 (18) ख, 4 (22) क, 4 (24) ख, 4 (25) ख, 8 (i व ii), 11 (iii)
3. उप पुलिस आयुक्त मुख्यालय, गुरूग्राम।
   (प्रस्ताव क0स0 4 (2) क)
4. उप अबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरूग्राम।
   (प्रस्ताव क0स0 4 (2) क, 16 (i))

5. उप महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, गुरूग्राम।
   (प्रस्ताव क0स0 4 (8) क)
6. सिविल सर्जन, गुरूग्राम।
   (प्रस्ताव क0स0 4 (21) क)
7. वरिष्ठ नगर योजनाकार, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, गुरुग्राम मंडल, गुरुग्राम।
8. जिला शिक्षा अधिकारी/खण्ड विकास शिक्षा अधिकारी, गुरूग्राम।
   (प्रस्ताव क0स0 19 (ii))
9. कार्यकारी अभियंता, गुरूग्राम मण्डल, डी0एच0बी0वी0एन0 गुरूग्राम।
10. सचिव, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, गुरुग्राम।

(डा0 सिद्वार्थ खण्डेलवाल)
निगम सचिव
नगर निगम, गुरूग्राम

पृ0 कमांकः–एम0सी0जी0/2026/सी0एस–250 **दिनांकः–22/5/26**

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को अनुलग्नक सहित भेजकर अनुरोध है कि सदन की सामान्य बैठक में आपके कार्यालय से सम्बन्धित पारित प्रस्तावों पर कार्रवाई करें तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।

1. अतिरिक्त आयुक्त– I, II, III, IV & V, नगर निगम, गुरूग्राम।
2. संयुक्त आयुक्त– I, II, III, IV & स्वच्छ भारत मिशन व मुख्यालय, नगर निगम, गुरूग्राम।
3. मुख्य नगर योजनाकार/जिला नगर योजनाकार, नगर निगम, गुरूग्राम।
4. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, गुरूग्राम।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, नगर निगम, गुरूग्राम।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर निगम, गुरूग्राम।
7. जिला न्यायवादी, नगर निगम, गुरूग्राम।
8. जिला राजस्व अधिकारी/तहसीलदार, नगर निगम गुरूग्राम।
9. उप निदेशक (आडिट), नगर निगम, गुरूग्राम।
10. सभी कार्यकारी अभियन्ता, मुख्यालय, विघुत/बागवानी व स्वच्छ भारत मिशन, नगर निगम, गुरूग्राम।
11. क्षेत्रीय कराधान अधिकारी–1, 2, 3, 4 व मुख्यालय, नगर निगम, गुरूग्राम।
12. शहरी परियोजना अधिकारी, नगर निगम, गुरूग्राम।
13. क्रय अधिकारी, नगर निगम, गुरूग्राम।
14. अधीक्षक स्थापना शाखा, नगर निगम, गुरूग्राम।
15. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम, गुरूग्राम।
16. आई0टी0 मैनेजर, नगर निगम, गुरूग्राम को भेजकर अनुरोध है कि सदन की कार्रवाई नगर निगम की वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
17. निजि सहायक आयुक्त, नगर निगम, गुरूग्राम।

(डा0 सिद्वार्थ खण्डेलवाल)
निगम सचिव
नगर निगम, गुरूग्राम

MCG MUNICIPAL CORPORATION of GURUGRAM
NURTURING GURUGRAM

दिनांक 11.05.2026 को नगर निगम, गुरूग्राम के सदन की सामान्य बैठक की कार्यवाही।

श्रीमति राज रानी, माननीया महापौर की अध्यक्षता में , श्री प्रदीप दहिया (भा0प्र0से0) निगम आयुक्त, व श्री सिद्वार्थ खण्डेलवाल, निगम सचिव, नगर निगम, गुरूग्राम की उपस्थिति में दिनांक 11.05.2026 को प्रातः 11:00 बजे, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुरूग्राम, सैक्टर–18, (हिप्पा) गुरूग्राम में आयोजित सदन की सामान्य छठवीं बैठक की कार्यवाही।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहेः–

वार्ड नं0	नाम	उपस्थिति	वार्ड नं0	नाम	उपस्थिति	वार्ड नं0	नाम	उपस्थिति
1	श्री सुंदर सिंह	उपस्थित	2	श्रीमति ज्योत्सना यादव	उपस्थित	3	श्री राकेश यादव	उपस्थित
4	श्री प्रदीप कुमार पदम	उपस्थित	5	श्री राम अवतार राणा	उपस्थित	6	श्री सतपाल	उपस्थित
7	श्री दिनेश दहिया	उपस्थित	8	श्री नरेश कुमार	उपस्थित	9	श्री अवनीश राघव	उपस्थित
10	श्री महाबीर	उपस्थित	11	श्री कुलदीप यादव	उपस्थित	12	श्रीमति रूची	उपस्थित
13	श्री पवन कुमार	उपस्थित	14	श्री प्रथम चन्द्र वशिष्ट	उपस्थित	15	श्रीमति भारती हरसाणा	उपस्थित
16	श्री विक्रमजीत सिंह	उपस्थित	17	श्रीमति नेहा देवतवाल	उपस्थित	18	श्रीमति ज्योति सुमित जेलदार	उपस्थित
20	श्री नारायण भड़ाना	उपस्थित	21	श्रीमति सोनिया यादव	उपस्थित	22	श्री विकास यादव	उपस्थित
23	श्री कुनाल यादव	उपस्थित	24	श्रीमति आरती यादव	उपस्थित	25	श्री अनूप सिंह	उपस्थित
26	श्रीमति सुनीता रानी	उपस्थित	27	श्री आशीष गुप्ता	उपस्थित	28	श्री धर्मबीर भांगरौला	उपस्थित
29	श्रीमति उषा	उपस्थित	30	श्रीमति मधु बत्रा	उपस्थित	31	श्री दलीप कुमार सहानी	उपस्थित
32	श्री विजय	उपस्थित	33	श्रीमति सारिका भारद्वाज	उपस्थित	34	श्रीमति सुरेखा	उपस्थित
35	श्री परमिन्दर कटारिया	उपस्थित	36	श्रीमति रेखा	उपस्थित	.....	श्री विकांत यादव **(मनोनीत सदस्य)**	उपस्थित

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

MCG MUNICIPAL CORPORATION of GURUGRAM
NURTURING GURUGRAM

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारीगण ने भी इस बैठक में भाग लियाः–

क0 स0	अधिकारी का नाम	पद	क0 स0	अधिकारी का नाम	पद
1.	श्री यश जालुका, भा0प्र0से0	अतिरिक्त आयुक्त–1	2.	श्रीमति अंकिता चौधरी, भा0प्र0से0	अतिरिक्त आयुक्त–2
3.	श्री रविन्द्र यादव, ह0प्र0से0	अतिरिक्त आयुक्त–3	4.	श्रीमति पूजा छावारियां	अतिरिक्त आयुक्त–4
5.	श्री जयवीर यादव, ह0प्र0से0	अतिरिक्त आयुक्त–5	6.	डा0 नरेश कुमार, ह0प्र0से0	संयुक्त आयुक्त–1
7.	श्री रविन्द्र मलिक, ह0प्र0से0	संयुक्त आयुक्त–4	8.	श्री प्रीत पाल, ह0प्र0से0	संयुक्त आयुक्त **(एस0बी0एम0)**
9.	श्री विजय ढाका	मुख्य अभियंता	10.	श्री संजीव मान	मुख्य नगर योजनाकार
11.	श्री विजय कुमार	मुख्य लेखा अधिकारी	12.	श्री आशीष सिंगला	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
13.	श्री संदीप सिंह	कार्यकारी अभियंता	14.	श्री सुंदर सिंह	कार्यकारी अभियंता व स्वच्छ भारत मिशन
15.	श्री तुषार यादव	कार्यकारी अभिंयता	16.	श्री प्रदीप कुमार	कार्यकारी अभिंयता
17.	श्री सचिन यादव	कार्यकारी अभिंयता विघुत	18.	श्री संदीप	कार्यकारी अभिंयता
19.	श्री पंकज	क्षेत्रीय कराधान अधिकारी–1	20.	श्री राजेश यादव	क्षेत्रीय कराधान अधिकारी–2 व 3
21.	श्री बी0एस0 छौकर	क्षेत्रीय कराधान अधिकारी–4	22.	श्री द्वारका प्रसाद	शहरी परियोजना अधिकारी
23.	श्री गुलशन सुलजा	कार्यकारी अधिकारी	24.	श्री हरकेश गुप्ता	तहसीलदार
25.	श्री हवा सिंह पुनिया	नायब तहसीलदार	26.	श्रीमति सुमन	योजना सहायक
27.	श्री एम0एल0 यादव	अधीक्षक, स्थापना शाखा			

Raj Rani Malhotra

MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

Raj Rani Malhotra

अन्य विभागों से उपस्थित हुए अधिकारीगण					
1.	श्री राकेश सैनी	सम्पदा अधिकारी–1, एच0एस0वी0पी0 गुरूग्राम।	2.	श्री मनोज	अधीक्षक अभियंता–1, एच0एस0वी0पी0 गुरूग्राम।
3.	श्री छाप सिंह	आबकारी कर अधिकारी, डी0ई0टी0सी0, गुरूग्राम।	4.	श्री पवन कुमार	आबकारी कर अधिकारी, डी0ई0टी0सी0, गुरूग्राम।
5.	श्री अभिनंदन	आबकारी कर अधिकारी, डी0ई0टी0सी0, गुरूग्राम।	6.	श्रीमति मीनाक्षी दिक्षित	सहायक आबकारी कर अधिकारी, डी0ई0टी0सी0, गुरूग्राम।
7.	श्री सोमवीर सिंह	सहायक आबकारी कर अधिकारी, डी0ई0टी0सी0, गुरूग्राम।	8.	श्री मनमोहन जीत सिंह	कार्यकारी अभिंयता, डी0एच0बी0वी0एन0, गुरूग्राम
9.	श्री सुहेल अहमद	कार्यकारी अभिंयता, डी0एच0बी0वी0एन0, गुरूग्राम	10.	श्री सतपाल	सचिव, मार्किट कमेटी, गुरूग्राम।
11.	श्री क्षितिज कुमार	कार्यकारी अभिंयता–जी0एम0डी0ए0	12.	श्री नवीन कुमार	सहायक पुलिस आयुक्त, पश्चिम, गुरूग्राम

- सर्वप्रथम श्री प्रदीप दहिया (भा0प्र0से0), निगम आयुक्त, द्वारा माननीया महापौर, नगर निगम गुरूग्राम का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत किया गया, तदोपरान्त श्रीमति अंकिता चौधरी, भा0प्र0से0, अतिरिक्त आयुक्त–2 द्वारा श्री प्रदीप दहिया (भा0प्र0से0), निगम आयुक्त नगर निगम, गुरूग्राम का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत किया गया।
- श्री सिद्वार्थ खण्डेलवाल, निगम सचिव, नगर निगम, गुरूग्राम द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सम्मानित/मनोनीत सदस्यगण व उपस्थित अधिकारीगण का स्वागत किया गया तथा माननीया महापौर से सदन की छठवीं सामान्य बैठक की कार्यवाही को प्रारम्भ करने का अनुरोध किया।
- **बैठक का ऐजण्डा निम्न प्रकार है:–**

क0 स0	ऐजण्डा	प्रस्ताव
1.	**क)** दिनांक 12.11.2025 को हुई सदन की सामान्य बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करने बारे। बैठक की कार्यवाही इस कार्यालय के पत्र कमांक एम0सी0जी0/सी0एस0/2026/104–107 दिनांक 14.11.2025 को ई–मेल के माध्यम से सभी सम्मानित सदस्यगणों/मनोनीत सदस्यगणों को भेजी जा चुकी है।	**क)** दिनांक 12.11.2025 को हुई सदन की सामान्य बैठक की कार्यवाही की पुष्टि सर्वसम्मति से की गई।

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	ख) वार्ड समितियों के गठन हेतू दिनांक 29.01.2026 को सदन की विशेष बैठक की कार्यवाही की पूष्टि करने बारे। बैठक की कार्यवाही इस कार्यालय के पत्र कमांक एम0सी0जी0/सी0एस0/2026/153–154 दिनांक 20.02.2026 को ई–मेल के माध्यम से सभी सम्मानित सदस्यगणों/मनोनीत सदस्यगणों को भेजी जा चुकी है। **ग)** दिनांक 18.03.2026 को हुई सदन की विशेष बैठक (बजट वर्ष 2026–27) की कार्यवाही की पुष्टि करने बारे। बैठक की कार्यवाही इस कार्यालय के पत्र कमांक एम0सी0जी0/सी0एस0/2026/177–179 दिनांक 20.03.2026 को ई–मेल के माध्यम से सभी सम्मानित सदस्यगणों/मनोनीत सदस्यगणों को भेजी जा चुकी है। **घ)** दिनांक 20.04.2026 को हुई सदन की विशेष बैठक (नारी शक्ति वंदना अधिनियम प्रचार अभियान) की कार्यवाही की पुष्टि करने बारे। **ड)** दिनांक 20.11.2025, दिनांक 28.11.2025, दिनांक 27.01.2026, दिनांक 28.03.2026 व दिनांक 10.04.2026 को हुई वित्त एवं सविंदा समिति की बैठकों में की गई कार्यवाही सदन के सुचनार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यवाही की प्रतियां संलग्न)**	**ख)** वार्ड समितियों के गठन हेतू दिनांक 29.01.2026 को सदन की विशेष बैठक की कार्यवाही की पूष्टि सर्वसम्मति से की गई। **ग)** दिनांक 18.03.2026 को हुई सदन की विशेष बैठक (बजट वर्ष 2026–27) की कार्यवाही की पुष्टि सर्वसम्मति से की गई। **घ)** दिनांक 20.04.2026 को हुई सदन की विशेष बैठक (नारी शक्ति वंदना अधिनियम प्रचार अभियान) की कार्यवाही की पुष्टि सर्वसम्मति से की गई। **ड)** दिनांक 20.11.2025, दिनांक 28.11.2025, दिनांक 27.01.2026, दिनांक 28.03.2026 व दिनांक 10.04.2026 को हुई वित्त एवं सविंदा समिति की बैठकों में की गई कार्यवाही बारे सदन को सूचित हुआ।
2.	**Proposal from Executive Engineer-(HQ, MCG) :-** Municipal Corporation Gurugram collects the water connection fee and security deposit from the consumer at the time of online application, as per the HSVP policy. An incentive of 50% of connection and disconnection fee charged from consumers, with an upper limit of 1000, may be given to authorized plumbers of MCG. Upper limit is required as connection fees for some categories like commercial connections in HSVP areas have high connection fees. Furthermore, an incentive may be given to plumbers for reporting illegal/unauthorized connections post verification by MCG, @1000/connection to ensure illegal connections are tapped and converted.	सम्बन्धित ऐजण्डा बारे श्री यश जालुका, भा0प्र0से0, अतिरिक्त आयुक्त–1 द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि:– नगर निगम अधिनियम 1994 में वर्णित धारा 214 (5) में किये गये प्रावधान अनुसार ***"निगम, समय–समय पर, लाइसेंस प्राप्त प्लंबरों द्वारा इस अध्याय के अधीन या इसके किसी भी प्रयोजन के लिए किए गए किसी भी कार्य हेतु उन्हें भुगतान की जाने वाली फीस निर्धारित कर सकता है।"*** इसके अतिरिक्त उनके द्वारा सदन के संज्ञान में यह भी लाया गया कि निगम

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	Section 214 (5) of Haryana Municipal Corporation Act, 1994, reads as follows: 'The Corporation may, from time to time, prescribe the charges to be paid to licensed plumbers for any work done by them under or for any of the purposes of this Chapter.' The above proposal item is submitted for kind consideration and approval of the Hon'ble House.	क्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था में विशेष सुधार करने के दृष्टिगत जो भी लाईसैंस धारी प्लंबर अनाधिकृत जलापूर्ति कनैक्शन और जलापूर्ति लाईन पर सीधे लगाई गई मोटरस के बारे में नगर निगम को सूचित करेगा उसे प्रोत्साहन राशि की अदायगी की जायेगी। लाईसैंस धारी प्लंबर के इस कृत्य से ना केवल अनाधिकृत जलापूर्ति कनैक्शन को काटा जा सकेगा बल्कि जलापूर्ति बिलों की बकाया राशि वसूल करके इस मद की आय में बढौतरी की जानी सम्भव हो सकेंगी। सदन द्वारा इस बारे व्यापक विचार करने उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। **कार्रवाईः– अतिरिक्त आयुक्त–1/कार्यकारी अभियंता मुख्यालय**
3.	**Proposals from Town Planning Branch (CTP, MCG) :-** **1) Proposal for providing MCG land for setting up of VITA Milk Booths**- This office has received a proposal for setting up VITA Milk Booths from Chief Executive Officer, The Ballabgarh Co-op Milk Producers Union Ltd. Milk Plant, Ballabgarh on lease basis. DULB vide letter dated 03.02.2026 has directed to allot the sites for setting up Vita Milk Booths at prominent locations. Hence, if approved by Hon'ble Corporation House, the MCG land may be provided to Chief Executive Officer, The Ballabgarh Co-op Milk Producers Union Ltd. Milk Plant, Ballabgarh at the rates prescribed by DULB.	मुख्य नगर योजनाकार द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बल्लभगढ़, सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, दुग्ध संयंत्र, बल्लभगढ़ के अनुरोध पर निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा के पत्र दिनांक 03.02.2026 द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में नगर निगम सीमा में वीटा दूध बूथों के लिये निगम भूमि उपलब्ध करवाई जानी है। इस बारे सदन ने व्यापक विचार करने उपरान्त निर्णय लिया कि:– 1. प्रत्येक दूध बूथों के लिये कम से कम दस हजार रूपया मासिक किराया राशि निश्चित की जाये। 2. दूध के बूथ केवल नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को ही आवंटित किये

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

		जाये। उपरोक्त के मध्यनजर सदन द्वारा, निगम सीमा में दूध के बूथों के लिये बल्लभगढ, सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, दुग्ध संयंत्र, बल्लभगढ़ को निगम की भूमि नियमानुसार पटटे (Lease) पर दिये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से की गई। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार**
	2) **Proposal for Auction of Commercial Sites at Vyapar Sadan, Gurugram**-Hon'ble CM, Haryana-cum-Chairman, District Public Grievances and Dispute Redressal Committee, in meeting dated 17.12.2025 at point no. 8, has directed to pursue the case of Auction of commercial sites at Vyapar Sadan, Gurugram. Hence, if approved by Hon'ble Corporation House, the case for approval of 50% sites of booths, SCOs, commercial towers and group housing sites may be sent to DULB for approval of the Govt.	इस प्रस्तावना बारे मुख्य नगर योजनाकार द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा जिला लोक कष्ट निवारण समिति में दिये गये निर्देशानुसार व्यपार सदन में स्थित निगम की भूमि को हरियाणा नगरपालिका सम्पतियों की नीलामी नीति 2024 (Haryana Municipal Properties Auction Policy 2024) के अनुरूप बेचा जाना है। इसलिये व्यपार सदन में स्थित बूथ दुकान सह कार्यालय, कमर्शियल टावर और ग्रुप हाउसिंग साइटों को उक्त नीति के अन्तर्गत विभिन्न चरणों में शहरी स्थानीय निकाय के पोर्टल के माध्यम से खुली बोली द्वारा निलाम करने के लिये केस सदन में प्रस्तुत किया गया है। विस्तृत विचार करने उपरान्त सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में किस भूमि खण्ड को हरियाणा नगरपालिका सम्पतियों की नीलामी नीति 2024 (Haryana Municipal Properties Auction Policy 2024) अनुसार बेचा जाये बारे खण्ड के चयन निम्न गठित समिति द्वारा किया जायेगाः–

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	3) Providing 0.12 Ha MCG land on temporary basis to NCRTC for establishment of casting yard for RRTS Corridor from SKK to Bawal- NCRTC Ltd. vide letters dated 03.11.2025 & 23.02.2026 has requested for allotment of 0.12 Ha MCG land on temporary basis for five years for setting up of RRTS Casting Yard/Batching Plant for implementation of SKK-Gurugram Bawal Namo Bharat Corridor. The Revenue Branch vide report dated 25.02.2026 has informed that the land measuring 2 K- 15 M, situated in khasra no. 20//17/2 of village Dundahera is under the ownership of Municipal Corporation, Gurugram. The Revenue Branch has also informed that Hon'ble High Court vide order dated 23.01.2026 has decided the case in favour of MCG. Hon'ble Supreme Court of India, vide order dated 09.02.2026 has also decided that the Respondents i.e. The State of Haryana & ors. are at liberty to use the land for the purpose of implementation of SKK Dharuhera, RRTC Corridor Project connecting Sarai Kale Khan in Delhi to Dharuhera in Haryana. It is also informed that in the	1. माननीया महापौर। 2. माननीय निगम आयुक्त 3. मुख्य योजनाकार, नगर निगम। सदन द्वारा उक्त अनुसार खुली बोली द्वारा निलाम किये जाने वाले भूमि खण्ड का आधार मूल्य निर्धारित करवाने हेतू केस निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला को भेजने की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार** इस प्रस्तावना बारे मुख्य नगर योजनाकार द्वारा सदन को विस्तार से अवगत करवाया गया। सदन द्वारा इस प्रस्तावना पर विस्तृत विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 में किये गये प्रावधानों एवं नियमानुसार निदेशालय/सरकार से भूमि खण्ड के रेट निर्धारित करवाने हेतू केस निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला को भेजने की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	meeting dated 09.01.2025, held under the Chairmanship of W/CS, Haryana at point no. vii, it was decided that "The Commissioners of the Municipal Corporations of Manesar and Gurugram were instructed to initiate the immediate handover of available land to NCRTC. They were further directed to ensure that no procedural delays occur and to coordinate directly with the Directorate of Urban Local Bodies (DULB) to expedite the process." Hence, if approved by the Hon'ble Corporation House, the case may be sent to DULB for seeking approval of the Govt. regarding allotment of above said MCG land to NCRTC on temporary basis for five years.	
	4) Auction of sites received from Unitech Ltd.- At the time of transfer of colonies of Unitech Ltd. i.e. South City-I & II, 13 properties were handed over by Unitech Ltd. to MCG in lieu of the deficit development works in these colonies. The physical possession of these 13 properties was also taken over by the Revenue Branch of MCG in year 2019. As per the orders of DTCP, Haryana, these colonies are to be auctioned to recover the expenditure on deficit infrastructure by MCG. The actual physical possession of only 11 sites was taken over by MCG and 02 school sites of Heritage City are still under litigation. Hence, if approved by Hon'ble Corporation House, the above 11 sites received from Unitech Ltd. may be auctioned as per the policy of the Department.	इस प्रस्तावना बारे मुख्य नगर योजनाकार द्वारा सदन को विस्तार से अवगत करवाया गया। श्री कुलदीप, सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि निगम द्वारा अन्य विभागों से अपने अधिकार में लिये गये क्षेत्रों से भी, घाटे वाले बुनियादी ढांचे पर व्यय (Expenditure on deficit infrastructure) मद में बकाया राशि भी वसूल की जाये। सदन द्वारा इस प्रस्तावना पर विस्तृत विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि किसी भी कार्रवाई को करने से पूर्व इसकी वैधता Legality की जांच कर ली जाये, जिसके लिये निम्न समिति का गठन किया गयाः– 1. अतिरिक्त आयुक्त–1 2. मुख्य नगर योजनाकार

Raj Rani Malhotra

MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	5) Khuli Baba Mandir is situated in Village Wazirabad, Gurugram- A representation from Smt. Sonia Yadav, Ward Councillor, Ward No. 21, has been received with request to exempt approx. 10 acres land of Kholi Baba temple in village Wazirabad from the purview of Forest Department upon allocation of compensatory land by the Municipal Corporation Gurugram. She has further requested that matter be placed in the Corporation House. As per the report of the Revenue Branch, the ownership of the land in question is not with MCG, so MCG cannot apply/request for the exemption of the said land from the purview of Forest Department. W/CMC had directed to discuss the matter in the corporation house meeting. So, this agenda is being placed for the information of Hon'ble Corporation House.	3. मुख्य अभियंता 4. सम्बन्धित वार्ड का सदस्य उक्त समिति द्वारा इस मद में वसूल की गई राशि का ब्यौरा निगम सदन की प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगी। सदन द्वारा उक्त के दृष्टिगत इस प्रस्तावना की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार** इस प्रस्तावना बारे मुख्य नगर योजनाकार द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि निगम क्षेत्र के गांव वजीराबाद में स्थित खोली बाबा मंदिर की भूमि लगभग 10 एकड़ भूमि, जो वर्तमान में वन विभाग के अधीन वन क्षेत्र के रूप में चिन्हित है, को उक्त अधिनियमों की परिधि से बाहर किए जाने का अनुरोध वन विभाग से किया जाये। राजस्व शाखा, नगर निगम, गुरूग्राम द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया कि सम्बन्धित भूमि नगर निगम की नहीं है, अपितु यह निजि मालिकान की है, और इस पर माननीय सुप्रीम न्यायलाय में केस भी लम्बित है। सदन को सूचित हुआ तथा वार्ड नं0 21 के सम्मानित सदस्य श्रीमति सोनिया यादव द्वारा माननीय सुप्रीम न्यायलाय में लम्बित केस की पैरवी अच्छे से करने बारे अनुरोध किया गया। **कार्रवाईः– तहसीलदार/जिला न्यायवादी/मुख्य नगर योजनाकार**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	6) **M/s Nourish Developers Pvt. Ltd.** has submitted a proposal for purchase of MCG revenue rasta area measuring 0.1126 acres bearing khasra no. 128, situated in the revenue estate of village Chauma, Gurugram. The proposal has been examined under policy dated 01.06.2021 and notification dated 27.06.2025 and found in order. The proposed MCG revenue rasta falls in land of the applicant company and defunct at site. The MCG revenue rasta is also embedded in land of the applicant company and cannot be used by MCG for any public purpose.	इस प्रस्तावना बारे मुख्य नगर योजनाकार द्वारा सदन को सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2021 को जारी नीति एवं दिनांक 27.06.2025 को की गई अधिसूचना बारे विस्तार से अवगत करवाया गया। सदन द्वारा विस्तृत विचारोंपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार**
	7) **M/s Union Buildmart pvt. Ltd**. has submitted a proposal for purchase of MCG revenue rasta no. 122min and MCG revenue rasta No. 123/1min admeasuring 0.1193 acre approx. situated in the revenue estate of Village Chauma, Sector-113, Gurugram. The propsal has been examined under policy dated 01.06.2021and notification dated 27.06.2025 and found in order. Both the proposed MCG revenue rasta falls in land of the applicant company and defunct at site. Both the MCG revenue rasta are also embedded in land of the applicant company and cannot be used by MCG for any public purpose.	इस प्रस्तावना बारे मुख्य नगर योजनाकार द्वारा सदन को सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2021 को जारी नीति एवं दिनांक 27.06.2025 को की गई अधिसूचना बारे विस्तार से अवगत करवाया गया। सदन द्वारा बहुमत से प्रस्तावना को स्वीकृति प्रदान की गई। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार**
	8) **M/s Blue Bell Buildtech Pvt. Ltd** has submitted a proposal for purchase of MCG revenue rasta no. 125 and MCG revenue rasta No. 126min admeasuring 0.3751 acre approx. situated in the revenue estate of Village Chauma, Sector-111, Gurugram. The proposal has been examined under policy dated 01.06.2021and notification dated 27.06.2025 and found in order. Both the proposed MCG revenue rasta falls in land of the applicant company and defunct at site. Both the MCG revenue rasta are also	इस प्रस्तावना बारे मुख्य नगर योजनाकार द्वारा सदन को सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2021 को जारी नीति एवं दिनांक 27.06.2025 को की गई अधिसूचना बारे विस्तार से अवगत करवाया गया। सदन द्वारा बहुमत से प्रस्तावना को स्वीकृति प्रदान की गई। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	embedded in land of the applicant company and cannot be used by MCG for any public purpose.	
	9) M/s M3M India Pvt. Ltd. has submitted a proposal for purchase of MCG revenue rasta no. 127 admeasuring 0.250 acre approx. situated in the revenue estate of Village Chauma, Sector-111, Gurugram. The proposal has been examined under policy dated 01.06.2021and notification dated 27.06.2025 and found in order. The proposed portion of above revenue rasta falls in the land of the applicant company. Moreover, the same is also embedded and defunct at site and cannot be used by MCG for any public purpose.	इस प्रस्तावना बारे मुख्य नगर योजनाकार द्वारा सदन को सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2021 को जारी नीति एवं दिनांक 27.06.2025 को की गई अधिसूचना बारे विस्तार से अवगत करवाया गया। सदन द्वारा विस्तृत विचारोंपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार**
	10) M/s Manglam Multiples Pvt. Ltd. have submitted a proposal for purchase of MCG revenue rasta area measuring 1.425 acres bearing khasra no. 15//18/2, 19/2, 20/2, situated in the revenue estate of village Badshahpur, Gurugram. The proposal has been examined under policy dated 01.06.2021, and notification dated 27.06.2025 and found in order. The subject MCG land is adjoining the applicant's licensed land, and the remaining portion falls within a 24-meter-wide internal sector road. Further, a Memorandum of Understanding (MoU) for the aforesaid land was executed between M/s Manglam Multiplex Pvt. Ltd. and the Municipal Corporation, Gurugram on 15.04.2021 for its maintenance for a period of 10 years. Therefore, the proposal does not affect the access for other landowners.	इस प्रस्तावना बारे मुख्य नगर योजनाकार द्वारा सदन को विस्तार से अवगत करवाया गया। सदन में विचारोंपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्तावना को निरस्त किया गया और मुख्य नगर योजनाकार को निर्देश दिये गये कि प्रस्तावना से सम्बन्धित समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) का पुनः अध्ययन करके प्रस्तावित भूमि को हरियाणा नगरपालिका सम्पतियों की नीलामी नीति 2024 (Haryana Municipal Properties Auction Policy 2024) अनुसार नीलामी करने बारे प्रस्तावना सदन में प्रस्तुत की जाये। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	11) M/s RP Realcon LLP has submitted a proposal for purchase of MCG revenue rasta no. 342/2 Gair Mumkin rasta area measuring 434 sq. mtr. situated in the revenue estate of Village Dhanwapur, Sector-104, Gurugram. The proposal has been examined under policy dated 01.06.2021and notification dated 27.06.2025 and found in order. The said revenue rasta was leading up to the village revenue boundary of village Dhanwapur and eliminates at that point. Some part of the said revenue rasta bearing khasra no.342/1 adjoining to the village boundary has already been acquired for Nallah vide award no. 02/1983-84 and Nallah exist at site. So, the proposed revenue rasta no. 342/2 is now ending within the land of the applicant company. The said revenue rasta is embedded in the land of the applicant company and is defunct at site.	इस प्रस्तावना बारे मुख्य नगर योजनाकार द्वारा सदन को सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2021 को जारी नीति एवं दिनांक 27.06.2025 को की गई अधिसूचना बारे विस्तार से अवगत करवाया गया। सदन द्वारा विस्तृत विचारोंपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार**
4.	**1) श्री सुंदर सिंह, सदस्य, वार्ड नं0 01.:–** क) पंचायती भूमि पर लगभग 40 वर्षो से 200 गज से 500 गज तक के पुराने कब्जे मौजूद है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, द्वारा पंचायतों में ऐसे कब्जों के संबंध में जो नीति/निर्णय लागू किया गया है, उसी के अनुरूप नगर निगम, गुरूग्राम क्षेत्र में भी समान प्रावधान लागू किये जाने की कृपा की जाये, ताकि सम्बन्धित निवासियों को राहत मिल सकें। **कार्रवाईः– अतिरिक्त आयुक्त–V, जोन–3/सहायक अभियंता प्रवर्तन–3/तहसीलदार** ख) खसरा नं0 164 में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जो पूर्व में पंचायत के अधीन था, परन्तु वर्तमान में भूमि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधीन चली गई है। अतः निवेदन है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर उक्त स्थान पर आमजन के उपयोग हेतू रास्ता का निर्माण करवाने	क) सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि पंचायती भूमि पर पुराने कब्जो को हटाने बारे बनाई गई सरकारी नीति के अनुरूप शहरी भूमि पर हुए पुराने कब्जों को हटवाने की नीति लागू करने का प्रावधान करने के लिए केस सरकार को भेज दिया जाना सर्वसम्मति से स्वीकृत है। **कार्रवाईः– अतिरिक्त आयुक्त–V, जोन–3/सहायक अभियंता, प्रवर्तन–3/तहसीलदार, नगर निगम** ख) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। योजना शाखा केस का विश्लेषण एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से समन्वय करके नियमानुसार आगामी कार्रवाई करें। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार, तहसीलदार, नगर निगम व**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	की कृपा की जाये। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार, तहसीलदार, नगर निगम व अधीक्षक अभिंयता–हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण**	**अधीक्षक अभिंयता–हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण**
4.	**2) श्रीमती ज्योत्सना यादव, सदस्य वार्ड नं0 02:–** क) लाल डोरे में शराब की दुकानों को हटाया जाए। MG Road पर prostitution के खिलाफ कार्यवाही हो। गांव में फैली बिजली की तारो को हटाया जाए। स्कूलों में बाथरूम साफ करने के लिए सेवादार दिया जाए। सरकारी सुलभ शौचालय में सफाई कर्मचारी दिये जाए। **कार्रवाईः– अतिरिक्त आयुक्त–V, जोन–3** **उप आबकारी कर अधिकारी, डी0ई0टी0सी0, गुरूग्राम/सहायक पुलिस आयुक्त, पश्चिम, गुरूग्राम**	क) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। इस बारे वार्ड नं0 2 द्वारा सदन में उठाये गये मुददों को सिफारिश सहित सम्बन्धित विभागों जैसे आबकारी कराधान, गुरूग्राम पुलिस विभाग, गुरूग्राम, डी0एच0बी0वी0एन0 (उत्तर व दक्षिण) विभाग, गुरूग्राम व जिला शिक्षा अधिकारी, गुरूग्राम को नियमानुसार कार्रवाई करने हेतू भेजे जाये। **कार्रवाईः– अतिरिक्त आयुक्त–V, जोन–3** **उप आबकारी कर अधिकारी, डी0ई0टी0सी0, गुरूग्राम/सहायक पुलिस आयुक्त, पश्चिम, गुरूग्राम**
	ख) Dundahera में कम्युनिटी सेंटर, इनडोर स्टेडियम, Old Age Home, Parking के साथ बनाया जाए। बैंक वाली गली में जलभराव का तुंरत समाधान हो। प्रयाप्त सफाई कर्मचारी मुहैया करवाए जाए। सफाई कर्मचारियों को रेहडी, कस्सी जैसे उपकरण दिए जाए। O & M का कॉन्ट्रैक्ट वार्ड के हिसाब से हो, न की zone के हिसाब से। Dundahera में Door to Door Garbage Collection नहीं हो रहा है। **कार्रवाईः– संयुक्त आयुक्त–स्वच्छ भारत मिशन/मुख्य अभियंता**	ख) सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– संयुक्त आयुक्त–स्वच्छ भारत मिशन/मुख्य अभियंता**
4.	**3) श्री राकेश यादव, सदस्य वार्ड नं0 03:–** क) सैक्टर–21, 22 एंव 22बी में ग्रीन बेल्ट का विकास जिसमें कि वृक्षारोपण, सिंचाई, सफाई एंव सौंदर्यकरण कार्य शामिल है किया जाना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जी0एम0डी0ए0 रोड़ लेबर चौक से सेक्टर–21 आनन फार्म रोड़ तक नियमित बागवानी वेस्ट कार्य एंव देवी लाल पार्क में बाउंड्री वॉल, फाउंटेन परिचालन, हट्स/शेल्टर, विद्युत कार्य एंव खेल सुविधांए (बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल कोर्ट) आदि सभी कार्यो बारे आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने का कष्ट करें।	क) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। इस बारे वार्ड नं0 2 द्वारा सदन में उठाये गये मुददों को सिफारिश सहित गुरूग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम को नियमानुसार कार्रवाई करने हेतू भेजे जाये। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता बागवानी** **अधीक्षक अभिंयता/कार्यकारी अभियंता विघुत, गुरूग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता बागवानी **अधीक्षक अभिंयता/कार्यकारी अभियंता विघुत, गुरूग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण**	
	ख) वार्ड नं0 03 हेतू पर्याप्त सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण हेतू स्थायी एंव प्रभावशाली व्यवस्था लागू की जाये, कार्टरपुरी गौशाला रोड़ से डंपयार्ड का स्थानातंरण, नई स्ट्रीट लाईटो की व्यवस्था, छिप्पी कालोनी चौपाल निमार्ण हेतू हरियाणा शहरी प्राधिकरण विभाग की जमीन लेकर निर्माण कार्य करवाया जाना, सैक्टर–21 मार्किट से ओल्ड दिल्ली रोड़ पर सड़क के बीच आने वाले मकानो को हुड्डा विभाग द्वारा हटवाकर निर्माण कार्य करवाना एंव वार्ड के प्रमुख स्थानो पर सी0सी0टी0वी0 कैमरो की व्यवस्था करवाई जाना सुनिश्चित करें।	ख) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। इस बारे निगम आयुक्त द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने की नीति हेतू टैण्डर निकट भविष्य में ही खोल दिया जायेगा। कार्टरपुरी गौशाला रोड़ से डंपयार्ड को अन्यंत्र स्थानातारित करने के लिये भूमि तलाश की जायेगी तथा डंपयार्ड को कवर करने के लिये बनाये गये आकंलन के स्थान पर यहां सडक का निर्माण करवाने का आश्वासन दिया गया। इस क्षेत्र के अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाली सोसाईटीयों से उनके द्वारा उत्पादित कुडे कचरे का समाधान करवाने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त छिप्पी कालोनी चौपाल के निमार्ण के लिये निर्देश दिये गये कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग की तकनीकि शाखा के अधिकारी व नगर निगम के तकनीकि शाखा के अधिकारी संयुक्त निरीक्षण करके कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा नगर निगम की विघुत शाखा सी0एस0आर0 फण्ड के माध्यम से वार्ड नं0 2 के प्रमुख स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाने की व्यवस्था करें।
	कार्रवाईः– अतिरिक्त आयुक्त–V, जोन–3/संयुक्त आयुक्त–वच्छ भारत मिशन/मुख्य अभियंता **अधीक्षक अभियंता–हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण**	**कार्रवाईः– अतिरिक्त आयुक्त–V, जोन–3/संयुक्त आयुक्त स्वच्छ भारत मिशन/मुख्य अभियंता** **अधीक्षक अभियंता–हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

4.	**4) श्री प्रदीप कुमार पदम, सदस्य वार्ड नं0 04:–** क) वार्ड 4 के पालम विहार कलोनी को DTCP नोटिस द्वारा 2018-19 में MCG के अधिकार क्षेत्र में किया गया। बहुत से स्थानीय Utility Areas अभी भी लाइसेंसधारी के नाम है, जिन्हें MCG के Record में लाने की आवश्यकता है। इसे शीघ्र से शीघ्र किया जाए। **कार्रवाई:– मुख्य नगर योजनाकार** ख) पालम विहार कालोनी के निवासियो के पेयजल की आपूर्ति के लिए मूलभूत बुनियादी व्यवस्था के विकास की अत्यंत आवश्यकता है। पेयजल के भंडारण के लिए सुविधाए विकसित करने की योजना समयावधि में शुरू करे। **कार्रवाई:– कार्यकारी अभियंता–जलापूर्ति/अतिरिक्त आयुक्त–1**	क) इस प्रस्तावना को सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुए मुख्य नगर योजनाकार को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाई:– मुख्य नगर योजनाकार** ख) इस प्रस्तावना को सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। अतिरिक्त आयुक्त–1 द्वारा सदन को अवगत करवाय गया कि नगर निगम क्षेत्र की जलापूर्ति विकास एवं पेयजल के भण्डरण के लिये सुविधाएं विकसित करने की योजना बारे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। **कार्रवाई:– कार्यकारी अभियंता–जलापूर्ति/अतिरिक्त आयुक्त–1**
4.	**5) श्री सतपाल, सदस्य वार्ड नं0 06:–** क) वार्ड नं0 6 के अन्तर्गत आने वाले धर्मपुर एवं ब्रहमपुरी गांव के निवासियों द्वारा सामूहिक रूप से लिखित निवेदन प्रस्तुत किया गया है कि दोनों गांवों के मध्य स्थित 75 मीटर रोड पर बने चौक का नाम ''भगवान परशुराम चौक'' रखा जाये। **कार्रवाई:– कार्यकारी अभियंता मुख्यालय** ख) वार्ड नं. 6 के अंतर्गत आने वाले 7 गांवों में पिछले 50–60 वर्षों में आबादी के निरंतर बढ़ने के कारण गॉवो का क्षेत्र प्राकृतिक रूप से काफी विस्तारित हो चुका है, जबकि कागजों में लाल डोरा अभी भी सीमित क्षेत्र तक ही दर्शाया गया है। इस कारण विस्तारित क्षेत्रो में मूलभूत सविधाएं उपलन्ध कराने में कठिनाई हो रही है, जिससे भविष्य में सैनिटेशन एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं ULB स्तर पर चल रही Exercise-I एवं Exercise-II के अंतर्गत ऐसे प्राकतिक रूप से बढे हुए	क) इस प्रस्तावना बारे सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि सडक, चौक व अन्य स्थानों के नामकरण करने बारे समिति गठित की जानी लम्बित है। समिति के गठन हो जाने के उपरान्त इस पर विचार कर लिया जायेगा। **कार्रवाई:– कार्यकारी अभियंता मुख्यालय** ख) इस प्रस्तावना बारे सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर योजनाकार निरीक्षण करें, यदि बढे हुए क्षेत्रों को नियमित किया जाना उचित हो तो निदेशालय की नीति के अन्तर्गत केस तैयार करके सरकार की स्वीकृति लेने हेतू भेजा जाये। **कार्रवाई:– मुख्य नगर योजनाकार**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	क्षेत्रों को नियमित (regularize) करने की प्रक्रिया प्रचलित है, अतः निवेदन है कि वार्ड नं. 6 के गांवों के विस्तारित क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कर आवश्यक सुविधाएं उपलन्ध करवाई जाए। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार**	
4.	**6) श्री दिनेश दहिया, सदस्य वार्ड नं0 07:–** क) वार्ड 7 में निवासियो की मांग पर परशुराम भवन राम विहार के साथ नगर निगम की जमीन पर दो मंजिला आनाथालय व वृद्वाश्रम बनाने का कष्ट करे। **कार्रवाईः–मुख्य अभियंता/तहसीलदार** ख) गॉव गाडोली कलां में मुकेश हेयर ड्रैसर की दुकान से गाडोली कलां ड्रैन पुलिया तक 400 MM की सीवर लाईन व रोड बनवाना। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–2बी**	क) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। सदन द्वारा मुख्य अभियंता/तहसीलदार को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः–मुख्य अभियंता/तहसीलदार** ख) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। सदन द्वारा मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–2बी को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–2बी**
4.	**7) श्री नरेश कटारिया, सदस्य वार्ड नं0 08:–** क) जोन–02 में डोर–टू–डोर कचरा प्रबंधन कार्य मैसर्ज आर्मी डेकोरेटर नामक ऐजेंसी को टेंडर माध्यम से सौंपा गया था, जिसका टेंटर नं0 2025 _HRY_486700_1 है। एजेंसी को टेंडर के नियमों अनुसार हर वार्ड में 10 गाड़ियां लगाना तय किया गया थ। परन्तु एजेंसी द्वारा अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नही किया जा रहा है। वार्ड में केवल 2–3 गाड़ियां भेजी जाती है, जो भी कभी –कभी आती है। ऐजेंसी द्वारा प्र्याप्त संख्या में गााडीयां एंव कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवांए जा रहे है।, जिसके कारण गलियों एंव कालोनियों में कचरें के ढेर लग रहे हे। इससे वार्ड के निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उक्त मामलें की तत्काल जांच कर मैंसर्ज आर्मी डेकोरेटर के विरूद्व आवश्यक एंव कठोंर कार्यवाही की जांए व ठेकेदार की किसी भी प्रकार की पेमेंट ना की जाए व ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर डोर–टू–डोर कचरा प्रबन्धन का कार्य अन्य किसी ऐजेंसी को जारी कर कर व्यवस्था को सुचारू रूप से सचांलित करवाने को निर्देश दिये	क) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। सदन द्वारा संयुक्त आयुक्त–स्वच्छ भारत मिशन को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– संयुक्त आयुक्त –स्वच्छ भारत मिशन**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	जायें। **कार्रवाईः– संयुक्त आयुक्त –स्वच्छ भारत मिशन** ख) जोन–2 में आवारा पशुओ को पकड़ने का कार्य नगर निगम द्वारा किसी एजेंसी/ठेकेदार को दिया गया था, परंतु एजेंसी द्वारा अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नही किया जा रहा है। इनको शिकायत देने के बाद भी एजेंसी द्वारा कार्य नही किया जाता। मैने खुद काफी बार आवारा गायो को पकडने के लिए शिकायत की परन्तु एजेंसी द्वारा जो कर्मचारी भेजे जाते है वो सिर्फ खाना पुर्ति करते है। गायों को उठाने के बाद इन पशुओ को मालिक के साथ मिली–भगत करके इनको आधे रास्ते में ही उतरा दिया जाता है। वार्ड न0 8 में आवारा पशुओं (विशेषकर गाय, बैल एवं आवारा कुत्तो) की संख्या दिन–प्रतिदिन बढती जा रही है, जिससे आम जनता को अनेक प्रकार की समस्याओ का सामना करना पड रहा है। ये पशु सडको पर घूमते रहते है, जिससे यातायात बाधित होता है तथा दुर्घटनाओ का खतरा बना रहता है। **कार्रवाईः– संयुक्त आयुक्त –स्वच्छ भारत मिशन**	ख) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। इस प्रस्तावना बारे संयुक्त आयुक्त–स्वच्छ भारत मिशन द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि सरकार द्वारा आवारा पशुओं एवं बंदरों को पुशपालन विभाग के माध्यम से पकडवाये जाने के निर्देश दिये गये है। सदन द्वारा संयुक्त आयुक्त–स्वच्छ भारत मिशन को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– संयुक्त आयुक्त –स्वच्छ भारत मिशन**
4.	**8) श्री अवनीश राघव, सदस्य वार्ड नं0 09:–** क) खाँड़सा गाँव एक एतिहासिक गाँव है जो कि गुरु द्रोणाचार्य व एकलव्य की गुरु–शिष्य परंपरा का साक्षी है जो कि शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है, जहां हरियाणा का एकमात्र एकलव्य प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर के पास निजी जमीन (पंचायती जमीन न होने कारण) पर एक तालाब होता था। 1989 में जब सरकार द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया गया तो निजी मलकीयत होने के कारण इस जमीन को HSIIDC के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया और आज वह तालाब एक मलबे का ढेर बन चुका है। वर्तमान में इस खाली पड़ी जमीन पर कचरे के ढेर बने हुए हैं व लोग यहाँ से मिट्टी का खनन भी करते हैं। गाँव में सरकारी स्कूल/एकलव्य मंदिर के पास HSIIDC की खाली पड़ी जमीन को नगर निगम गुरुग्राम के	क) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। इस प्रस्तावना बारे सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि एकलव्य मंदिर का जिर्णोधार, पार्क का निर्माण, तालाब को विकसित करने व उसका सौन्दर्यकरण उप महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, गुरूग्राम के माध्यम से करवाये जाने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1ए** **उप महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, गुरूग्राम**

Raj Rani Malhotra

MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	नाम पर ट्रांसफर करवा कर इस जमीन पर एक सार्वजनिक पार्क व तालाब को विकसित कर उसका सौंदर्यकरण किया जाए । जिससे कि इस एतिहासिक धरोहर (एकलव्य तीर्थ) का सरंक्षण किया जा सके। इस पार्क व तालाब के निर्माण से स्थानीय निवासियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण मिलेगा तथा मनोरंजन एवं सामाजिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध होगा। सेक्टर 37 औद्योगिक क्षेत्र में एक सामुदायिक भवन/क्लब हाउस के निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है जिसके लिए प्लॉट न. 735 आवंटित है। यहाँ लाखों की संख्या में गरीब मजदूर काम करते हैं । इस विषय में पहले भी पार्षद कार्यालय व इन्डस्ट्रीअल डेवलपमेंट एसोसिएशन सेक्टर 37 ने पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है । यह सुविधा क्षेत्र के निवासियों एवं श्रमिकों के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगी। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1ए** **उप महाप्रंबंधक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, गुरूग्राम** ख) वार्ड संख्या 09 (खाँड़सा गाँव, सेक्टर 37, अंजना कालोनी, सरस्वती एन्क्लैव, कादीपुर एन्क्लैव, कादीपुर इन्डस्ट्रीअल एरिया, बसई एन्क्लैव पार्ट 1 व 2, सेक्टर 10 कृष्ण नगर व विकास नगर) में स्थित वर्तमान सीवरेज प्रणाली लगभग 35 से 40 वर्ष पुरानी है जिसमे 8 इंच व्यास के सिरेमिक पाइपों से डाले गए थे । इसकी अधिक आयु और पुरानी तकनीक के कारण यह अब अत्यंत अपर्याप्त हो चुकी है तथा इसका रखरखाव करना भी कठिन हो गया है । इस कारण क्षेत्र में बार–बार जाम, ओवरफ्लो एवं मरम्मत संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, जिससे निवासियों को काफी असुविधा हो रही है तथा जन स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या और उपयोग के कारण वर्तमान प्रणाली अब भार वहन करने में सक्षम नहीं है। वार्ड 09 में वर्तमान सीवरेज प्रणाली के स्थान पर एक आधुनिक, टिकाऊ एवं उपयुक्त क्षमता वाली नई सीवर लाइन स्थापित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। इससे क्षेत्र में स्वच्छता की स्थिति में	ख) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। सदन द्वारा मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1ए को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1ए**

Raj Rani Malhotra

MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	सुधार होगा तथा निवासियों के स्वास्थ्य और सुविधा का ध्यान रखा जा सकेगा। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1ए**	
4.	**9) श्री महाबीर यादव, सदस्य वार्ड नं0 10:–** क) हरि नगर क्षेत्र में समुदायिक भवन के निर्माण हेतु HSVP विभाग की खाली पडी भूमि (खसरा संख्या 9/18 एवं 9/23) के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC प्राप्त कर उक्त भूमि पर सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जाए, ताकि क्षेत्रवासियो को सामाजिक एवं सार्वजनिक सुविधाए उपलब्ध हो सके। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1ए**	क) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग से सदन की बैठक में उपस्थित हुए सम्पदा अधिकारी–1 व अधीक्षक अभियंता से सदन द्वारा निर्देशित किया गया कि हरि नगर क्षेत्र में खसरा संख्या 9/18 एवं 9/23 में उनके विभाग की रिक्त पडी भूमि पर सामूदायिक भवन का निर्माण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग स्वयं करें या सामूदायिक भवन के निर्माण हेतू आवश्यक अनापति प्रमाण नगर निगम को जारी करें तथा इस मुददे पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट निगम की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। इस प्रयोजन हेतू यदि भूमि खरीद की जानी आवश्यक हो तो भूमि की खरीद हेतू निम्न समिति का गठन किया जाता है:– 1. अतिरिक्त आयुक्त–3 2. मुख्य नगर योजनाकार 3. तहसीलदार, नगर निगम **कार्रवाईः– सम्पदा अधिकारी–1 व 2, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण**
	ख) सैक्टर 10 की सीवर लाईन लगभग 25 वर्ष पूर्व डाली गई थी, जो वर्तमान में जर्जर अवस्था में है। अतः क्षेत्र मे नई सीवर लाईन डालवाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाए, जिससे नागरिको को हो रही असुविधा का समाधान हो सके। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1ए**	ख) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1ए**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

4.	**10) श्री कुलदीप यादव, सदस्य वार्ड नं0 11:–** क) वार्ड नं0 11 की हंस एन्कलेव, नाहरपुर रूपा, नितिन विहार एंव शिव कालोनी में कोई भी सामुदायिक केन्द्र उपलब्ध नही है। राजीव चौक और हंस एनक्लेव के बीच में HSVP विभाग की जमीन खाली है। उस जमीन को नगर निगम द्वारा HSVP विभाग से लेकर उसमें सामुदायिक भवन बनवाया जाए। **कार्रवाई:– सम्पदा अधिकारी–1 व 2, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण** ख) गुरूग्राम शहर की आबादी तकरीबन 60 लाख से ज्यादा हो गई है और सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। जिसका मुख्य कारण सफाई कर्मचारियो की कमी है। सदन से निवेदन है जल्द से जल्द 2500 कर्मचारियो की डिमांड परपोजल सरकार को भेजकर सफाई कर्मचारी बढाए जाए। **कार्रवाई:– अतिरिक्त आयुक्त–V, जोन–III/कार्यकारी अभियंता–स्वच्छ भारत मिशन**	क) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग को सदन की बैठक में उपस्थित हुए सम्पदा अधिकारी–1 व अधीक्षक अभियंता से सदन द्वारा निर्देशित किया गया कि राजीव चौक और हंस एनक्लेव के बीच, उनके विभाग की रिक्त पडी भूमि पर सामूदायिक भवन का निर्माण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग स्वयं करें या सामूदायिक भवन के निर्माण हेतू आवश्यक अनापति प्रमाण नगर निगम को जारी करें तथा इस मुददे पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट निगम सदन की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। इस प्रयोजन हेतू यदि भूमि खरीद की जानी आवश्यक हो तो भूमि की खरीद हेतू निम्न समिति का गठन किया जाये:– 1. अतिरिक्त आयुक्त–3 2. मुख्य नगर योजनाकार 3. तहसीलदार, नगर निगम **कार्रवाई:– सम्पदा अधिकारी–1 व 2, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण** ख) सदन द्वारा विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त आयुक्त–3 सम्बन्धित मुददे पर विचार करे तथा प्रस्तावना की संभाव्यता/व्यवहार्यता (feasibility) बारे रिपोर्ट निगम सदन की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। **कार्रवाई:– अतिरिक्त आयुक्त–V, जोन–III/कार्यकारी अभियंता–स्वच्छ भारत मिशन**
4.	**11) श्रीमती रूचि गगनदीप एडवोकेट, सदस्य वार्ड नं0 12:–** क) वार्ड नं0 12 सेक्टर–39 स्थित कम्युनिटि सेंटर का निर्माण का पुर्ननिर्माण करवाया जाना अति आवश्यक	क) इस प्रस्तावना पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी , नगर निगम द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि सैक्टर–39 में स्थित सामूदायिक केन्द्र को उपायुक्त,

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	है क्योंकि यह कम्युनिटि सेन्टर काफी पुराना एंव जर्जर हो चुका है। इसे कब्जामुक्त करवाकर आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप नई बिल्डिंग का निर्माण करवाया जायें जिससे आम नागरिकों को बेहतर सुविधांए मिल सकें। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–3ए** ख) झाड़सा गांव में स्थित लगभग 4 एकड़ तलाब भूमि में से 03 ऐकड़ में तलाब बना हुआ है तथा शेष 01 ऐकड़ में बगीचा बना हुआ है। प्रस्ताव है कि इस 01 भूमि पर एक आधुनिक योगा सेंटर का निर्माण किया जायें, जिससे आसपास के बोर्ड एंव सेक्टर के निवासियों को स्वास्थय सबंधी सुविधांए प्राप्त हो सके साथ ही तलाब का जीर्णोधार कर उसके चारो और पैदल ट्रैक का निर्माण किया जाये, जिससे क्षेत्र की सुदंरता बढ़े और एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सकें। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–3ए**	गुरूग्राम द्वारा अधिग्रहित किया हुआ है जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा लैब चलाई जा रही है। सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि सामूदायिक केन्द्र को जनहित में नगर निगम को सौंपने बारे उपायुक्त, गुरूग्राम कार्यालय से पत्राचार किया जाये। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–3ए** ख) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। सदन द्वारा विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–3ए सम्बन्धित प्रस्तावना की संभाव्यता/व्यवहार्यता (feasibility) बारे रिपोर्ट निगम सदन की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–3ए**
4.	**12) श्री पवन कुमार सैनी, सदस्य वार्ड नं0 13ः–** क) वार्ड न0 13 में सैक्टर 40 में नई सीवर लाईन बिछाने का कार्य जल्द किया जाएं। इसके साथ ही सैक्टर 40, सैक्टर 15 पार्ट–1 और प्रेमपुरी में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण भी किया जाए। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–3ए** ख) वार्ड नं0 13 के अर्न्तगत सैक्टरो के प्रवेश द्वार (Entry Gate) का सौंदर्यीकरण किया जाए तथा GMDA की सडक की स्थिति अत्यंत खराब है, इसकी शीघ्र मरम्मत करवाई जाए। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–3ए/अधीक्षक अभियंता–गुरूग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण**	क) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–3ए** ख) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–3ए/अधीक्षक अभियंता– गुरूग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

4.	**13) श्री प्रथम वशिष्ट, सदस्य वार्ड नं0 14:–** क) Proposal for ban on the sale of raw meat within a 5 km radius of Sheetla Mata Temple. Status update on Construction of Sports & Utility complex in sector-46 and status of NOC from HSVP regarding construction of Councillor's office on land under Boosting stations. **कार्रवाई:– मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1बी सम्पदा अधिकारी–1 व 2,हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण**	क) इस प्रस्तावना पर सदन द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये गये कि माता शीतला मंदिर के 5 किलोमीटर रेडीयस में मांस विक्रय ना किये जाने बारे केस तैयार करके सरकार को भेजने की कार्रवाई करें। **कार्रवाई:– मुख्य चिकित्सा अधिकारी** सदन द्वारा वार्ड के सैक्टर–46 में खेल एवं उपयोगिता परिसर के निर्माण की प्रस्तावना बारे निर्णय लिया गया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग खेल एवं उपयोगिता परिसर का निर्माण/बुस्टिंग स्टेशन पर निगम सदस्य कार्यालय का निर्माण विभाग स्वयं करें या खेल एवं उपयोगिता परिसर के निर्माण हेतू आवश्यक अनापति प्रमाण नगर निगम को जारी करें। **कार्रवाई:– मुख्य अभियंता/ सम्पदा अधिकारी–1 व 2, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण**
	ख) Proposal for installation of EPDM tracks on sidewalks along GMDA-maintained 60- meter and 30-meter-wide roads in ward -14. Allotment of land for new Community center in sector-51. Removal of encroachment on HSVP land marked for community center in sector-57 and proposal for construction of community center in sector-57 for village Tigra. **कार्रवाई:– सम्पदा अधिकारी–1 व 2, गुरूग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण कार्यकारी अभियंता–गुरूग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण**	ख) इस प्रस्तावना पर सदन द्वारा कार्यकारी अभियंता, गुरूग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण को वार्ड–14 में GMDA द्वारा देखरेख की जाने वाली 60–मीटर और 30–मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे फुटपाथों पर EPDM ट्रैक लगवाने बारे नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाई:– कार्यकारी अभियंता–गुरूग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण** सदन द्वारा वार्ड के सैक्टर–57 गांव तिगरा में सामूदायिक केन्द्र के निर्माण की प्रस्तावना बारे निर्णय लिया गया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग प्रस्तावित भूमि से अतिक्रमण हटवाकर सामूदायिक केन्द्र का निर्माण विभाग स्वयं करें या सामूदायिक केन्द्र के निर्माण हेतू आवश्यक अनापति प्रमाण नगर निगम को

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

		जारी करें। **सम्पदा अधिकारी–1 व 2, गुरूग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण**
4.	**14) श्री भारती हसराणा, सदस्य वार्ड नं0 15:–** क) वार्ड नं0– 15 के अंतर्गत धूमसपुर गांव में जिला परिषद की लगभग 1800 वर्गगज भूमि उपलब्ध है, जो कि वर्तमान में खाली पडी है। क्षेत्र के निवासियों की लंबे समय से यह मांग रही है कि धूमसपुर गांव में सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाए। ना केवल धूमसपुर गांव एवं रतनपुर ढाणी, खीलिया ढाणी, तूरमल सिंह ढाणी देशा संरपच की ढाणी, अधाना ढाणी एवम् आसपास की लगभग 10–12 कॉलोनियों के निवासियों को इसका लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस क्षेत्र के पास वर्तमान में कोई भी सामुदायिक केंद्र उपलब्ध नहीं है। छोटे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु लोगों को दूर–दराज के स्थानों पर जाना पड़ता है, जिससे समय और संसाधनों की असुविधा होती है। अतः आपसे निवेदन है कि जनहित एवं सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए उक्त भूमि हेतू संबंधित विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त कर सामुदायिक केंद्र का निर्माण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। **कार्रवाई:– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1बी/तहसीलदार**	क) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। सदन द्वारा मुख्य नगर योजनाकार/मुख्य अभियंता को निर्देश दिये गये कि धुमसपुर गांव में सामूदायिक केन्द्र का निर्माण करने हेतू जिला परिषद की लगभग 1800 वर्ग गज रिक्त भूमि की खरीद करने बारे केस तैयार करवाया जाये। **कार्रवाई:– मुख्य नगर योजनाकार/मुख्य अभियंता**
	ख) वार्ड नं0– 15 के अर्न्तगत शीशपाल विहार एवम् साउथ सिटी–2 के मध्य HSVP की लगभग 2400 वर्गगज या इससे अधिक भूमि खाली पड़ी है जिसका यदि ईडोंर स्टेडियम के रूप में प्रयोग किया जाये तो ना केवल इन दोनो कालोनियों अपितु साथ लगते गावों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। अतः इसके लिये भी सम्बन्धित विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त कर इडोंर स्टेडियम का निर्माण करवाया जाना सुनिश्चित करे। **कार्रवाई:– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1बी** **सम्पदा अधिकारी–1 व 2, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग**	ख) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग से सदन की बैठक में उपस्थित हुए सम्पदा अधिकारी–1 व अधीक्षक अभियंता को सदन द्वारा निर्देशित किया गया शीशपाल विहार एवम् साउथ सिटी–2 के मध्य में उनके विभाग की रिक्त पडी भूमि पर इण्डोर स्टेडियम का निर्माण बारे पूर्व निर्धारित योजना अनुसार संभाव्यता (feasibility) की जांच करवाकर रिपोर्ट निगम सदन की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

		कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1बी **सम्पदा अधिकारी–1 व 2, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग**
4.	**15) श्री विक्रमजीत सिंह, सदस्य वार्ड नं0 16:–** क) वार्ड नं0 16 में सैक्टर 71–72 डिवाडिंग रोड का नाम व चौक का नाम Rao Raj Bahadur Marg रखा जाए। **कार्रवाईः– कार्यकारी अभियंता मुख्यालय** ख) वार्ड नं0 16 में Vipul World Society में Street Light Pole बहुत पुराने होने के कारण टुट रहे है। उन्हें जल्द से जल्द बदला जाए। **कार्रवाईः– कार्यकारी अभिंयता–विघुत**	क) इस प्रस्तावना बारे सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि सडक, चौक व अन्य स्थानों के नामकरण करने बारे समिति गठित की जानी लम्बित है। समिति के गठन हो जाने के उपरान्त इस पर विचार कर लिया जायेगा। **कार्रवाईः– कार्यकारी अभियंता मुख्यालय** ख) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। सदन द्वारा कार्यकारी अभियंता विघुत को सम्बन्धित प्रस्तावना में चिन्हित स्ट्रीट लाईट पोल्स शीघ्र बदलवाने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– कार्यकारी अभिंयता–विघुत**
4.	**16) कुमारी नेहा देवतवाल, सदस्य वार्ड नं0 17:–** क) वार्ड 17 ग्राम मोहम्मदपुर झाडसा के मुख्य मार्ग पर गॉव के नाम का प्रवेश द्वार (गेट) स्थापित किए जाने का निर्माण कार्य। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1ए** ख) वार्ड 17 में 7 गॉव और कुछ सैक्टर आते है जो (Highway) के दोनो तरफ लगते है जहॉ पर अक्सर कूडे–कचरे व नाली की समस्याए बनी रहती है। उन सभी समस्याओ के समाधान के लिए हमारे वार्ड में 2 JCB और 2 टैक्टर ट्राली उपलब्ध करवाई जाए। **कार्रवाईः– सुंयक्त आयुक्त–स्वच्छ भारत मिशन**	क) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1ए** ख) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। **कार्रवाईः– सुंयक्त आयुक्त–स्वच्छ भारत मिशन**
4.	**17) श्रीमती ज्योति यादव, सदस्य वार्ड नं0 18:–** क) गांव बादशाहपुर विकास कार्यः लगभग 15 वर्ष पूर्व 36 करोड़ रूपये का टेंडर जेंडर कंपनी को दिया गया था। निगम द्वारा बकाया भुगतान ना होने के कारण कंपनी ने कार्य रोक दिया, जो वर्तमान में चंडीगढ	क) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। इस प्रस्तावना पर सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियंता/ कार्यकारी अभिंयता–1बी विकास कार्यो के टैण्डर लगवाने की कार्रवाई करें।

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	हाई कोर्ट में लबिंत है। बरसात से पूर्व इनका शीघ्र समाधान किया जाये ताकि ग्रामवासियों को परेशानी ना हो। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1बी**	**कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1बी**
	ख) गांव रामगढ़ जलभराव की समस्या को दूर करने के लिये सीवर लाईन बिछाने के दौरान अंसल सोसाईटी सेक्टर–67 का रोड़ क्षतिग्रस्त हो गया था जिसका निगम द्वारा रोड़ निर्माण का आश्वासन दिया गया था जिसका फाईल नं0 46517 है जोकि आयुक्त महोदय के सज्ञांन में भी है जिसकी अतिरिक्त आयुक्त श्री यश जलूका जी, कार्यकारी अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता व अन्य अधिकारियों द्वारा कई बार निरीक्षण भी किया जा चुका है। यहां सरकारी स्कूल होने के कारण सेंकड़ो बच्चो का भी आना जाना होता है। इस सड़क का शीघ्र अति शीघ्र निर्माण करवाया जायें। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1बी**	ख) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। सैक्टर–67 की क्षतिग्रस्त सडक के निर्माण की प्रस्तावना पर कार्यकारी अभिंयता–1बी द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि सम्बन्धित विकास कार्य का आंकलन तैयार किया जा चुका है। सदन द्वारा मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1बी को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1बी**
4.	**18) श्रीमति सोनिया यादव, सदस्य वार्ड नं0 21:–**	क) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। **कार्रवाईः– संयुक्त आयुक्त–4/मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4ए/ सहायक अभियंता प्रवर्तन–4**
	क) वार्ड 21 की सडकों पर किए गए अतिक्रमण (Encroachment) को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए तथा संबंधित स्थानों पर टाइल्स बिछाने का कार्य कराया जाए, ताकि सड़क चौड़ी हो सकें और आम जनता को सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त हो। वर्तमान स्थिति में अतिक्रमण के कारण सडकों पर केबल एक वाहन के निकलने की ही जगह शेष रहती है, जिससे अक्सर भारी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विशेष रूप से स्कूल जाने वाले बच्चो एबं अस्पताल जाने वाले मरीजों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः जनहित में इस समस्या का शीघ्र एवं प्रभावी समाधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। **कार्रवाईः– संयुक्त आयुक्त–4/मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4ए/सहायक अभियंता प्रवर्तन–4**	
	ख) वार्ड 21 के अंतर्गत गांव वजीराबाद में स्थित पेंशन भवन की स्थिति अत्यंत जर्जर एवं खण्डर जैसी हो चुकी है, जिससे आम नागरिकों को असुविधा हो रही है। अतः उक्त पेंशन भवन का पुनर्निमाण	ख) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। सदन द्वारा वार्ड नं0 21 में निवासरत सिख समुदाय की धार्मिक आवश्यकताओं को

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	(Reconstruction) किया जाना आवश्यक है। साथ ही, उसी परिसर में स्थित डाकघर एवं पशु अस्पताल की इमारतें भी अत्यंत पुरानी अवस्था में हैं। इसलिए इन तीनों भवनों–पेंशन भवन, डाकघर एवं पशु अस्पताल–का एक साथ पुनर्निर्माण किया जाए, ताकि नागरिकों को सुरक्षित एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसके साथ में ही वार्ड 21 में निवासरत सिख समुदाय की धार्मिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गुरुद्वारा निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई जाए, जिससे समुदाय के लोगों को धार्मिक गतिविधियों के लिए उचित स्थान प्राप्त हो सके। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4ए/ सम्पदा अधिकारी–1 व 2 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण**	ध्यान में रखते हुए गुरुद्वारा के निर्माण करने के लिये उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाये जाने बारे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के उपस्थित अधिकारियों को निमयानुसार आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4ए/ सम्पदा अधिकारी–1 व 2 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण**
4.	**19) श्रीमति आरती यादव, सदस्य वार्ड नं0 24:–** क) Sewerage Infrastructure Assessment & Drainage Planning. It is proposed that a qualified consultant be appointed to conduct a comprehensive survey of all colonies under Ward 24. The objective of this survey would be to identify internal lanes and main roads where the existing sewer lines are inadequate as per current load and require upgradation additionally, there is a need to plan and develop master drains along major roads to ensure efficient drainage during the monsoon season and to prevent waterlogging issues. **कार्रवाईः–मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4बी** ख) Installation of Colony/Sector Layout Maps at Entry Points It is requested that proper layout maps of residential colonies and sectors under MCG	क) सदन द्वारा मुख्य अभिंयता को इस प्रस्तावना की संभाव्यता (feasibility) बारे रिपोर्ट निगम सदन की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः–मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4बी** ख) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। सदन द्वारा मुख्य अभिंयता/कार्यकारी अभियंता–4ए को नियमानुसार कार्रवाई करने

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	jurisdiction be installed at key entry points, especially on main roads of at least 18-meter width. These maps will assist visitors in navigating the area easily, reduce unnecessary traffic movement within residential lanes, and improve overall traffic management and convenience for residents. **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4ए**	के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4ए**
4.	**20) श्री अनूप सिंह, सदस्य वार्ड नं0 25ः–** क) वार्ड नं0 25 पुलिस लाईन्स, आईटीआई परिसर और महरौली रोड़ के किनारो कई प्रमुख हरित क्षेत्र हैं मेरा प्रस्ताव है कि गुरूग्राम भर में अवैध अतिक्रमण हटाकर इसी प्रकार का हरित क्षेत्र विकास किया जाये। यह देखा गया है कि कई क्षेत्रों में अनाधिकृत झुग्गियां और अस्थायी बस्तियां बनी हुई है। मेरा अनुरोध है कि कानून के अनुसार ऐसे अतिक्रमणों को हटाया जाये और इन क्षेत्रों को हरित क्षेत्रों में विकसित किया जाये ताकि शहर के पर्यावरण और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार हो सकें। **कार्रवाईः– संयुक्त आयुक्त–4/सहायक अभियंता प्रवर्तन–4/कार्यकारी अभियंता बागवानी–1 व 2**	क) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। **कार्रवाईः– संयुक्त आयुक्त–4/सहायक अभियंता प्रवर्तन–4/कार्यकारी अभियंता बागवानी–1 व 2**
4.	**21) श्रीमती सुनीता रानी, सदस्य वार्ड नं0 26ः–** क) वार्ड नं0 26 में ना तो कोई डिस्पेंसरी है तथा ना ही कोई लाईब्रेरी जिस कारण छोटी–मोटी बिमारियों के ईलाज के लिये भी गरीब तबके के व्यक्तियों को अस्पताल अथवा प्राईवेट क्लीनिक में जाना पड़ता है साथ ही छात्र–छात्राओं को पढ़ने के लिए लाईब्रेरी जैसे शांत वातावरण की आवश्यकता है। **कार्रवाईः– मुख्य चिकित्सा अधिकारी/कार्यकारी अभियंता–4बी सिविल सर्जन, गुरूग्राम** ख) ओल्ड दिल्ली रोड़ से सैन चौपाल चौक तक के रोड़ को स्मार्ट रोड़ बनवाने की अति आवश्यकता है। इसे स्मार्ट रोड़ बनवाया जाना सुनश्चित करें। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4बी**	क) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। **कार्रवाईः– मुख्य चिकित्सा अधिकारी/कार्यकारी अभियंता–4बी सिविल सर्जन, गुरूग्राम** ख) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4बी**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

4.	**22) श्री आशीष गुप्ता, सदस्य वार्ड नं0 27:–** क) पटेल नगर में स्थित 10–11 ट्यूबवेलों के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जल आपूर्ति होती है, जिस पर पूरा पटेल नगर निर्भर है, परंतु इनमें से अक्सर 2–3 टयूबवेल खराब हो जाते हैं, जिससे क्षेत्र में भारी जल संकट उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इस समस्या के स्थायी समाधान हेत सेक्टर 15 पार्ट–2 में कम्यनिटी सेंटर के पीछे स्थित भूमि पर बूस्टर का निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जल वितरण सुचारू रूप से हो सके और क्षेत्रवासियों को पर्याप्त पानी मिल सके। **कार्रवाई:– कार्यकारी अभियंता–जलापूर्ति/कार्यकारी अभियंता–1बी** **सम्पदा अधिकारी–1 व 2, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण** ख) वार्ड 27 में नगर परिषद की भूमि कम्पनी बाग स्थित है, जिसे जनहित में acquire/purchase कर एक multilevel complex का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें एक modern auditorium तथा नगर निगम का rest house शामिल हो, क्योंकि वर्तमान में नगर निगम गुरूग्राम का अपना कोई rest house उपलब्ध नहीं है और बैठक ईत्यादि हेतू proper auditorium की भी कमी है, जिससे administrative एवं public activities में असुविधा होती है। इसके अतिरिक्त, एक अन्य विकल्प के रूप में इसी भूमि पर sports complex का निर्माण भी किया जा सकता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में युवाओं के लिए कोई भी sports complex उपलब्ध नहीं है, जिससें उन्हें खेलों के प्रति प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। अतः youth development और sports promotion के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। और सदर बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण पार्किंग की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है जिससे आम जनता एवं व्यापारियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अतः अनुरोध है कि कमान सराय, जैन मंदिर एवं हनमान मंदिर के आसपास के क्षेत्रों	क) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। सदन द्वारा कार्यकारी अभियंता जलापूर्ति/कार्यकारी अभियंता–1बी को निर्देश दिये गये कि इस प्रस्तावना बारे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम से समन्वय करके नियमानुसार कार्रवाई करें। **कार्रवाई:– कार्यकारी अभियंता–जलापूर्ति/कार्यकारी अभियंता–1बी** **सम्पदा अधिकारी–1 व 2, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण** ख) इस प्रस्तावना बारे सदन में निर्णय लिया गया कि समय–समय पर सरकार द्वारा जारी नीतियों अनुसार कार्रवाई की जायेगी। **कार्रवाई:– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1बी/संयुक्त आयुक्त–1/सहायक अभियंता प्रवर्तन–1**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	को nominal charges के साथ paid parking घोषित किया जाए, जिससे एक ओर अवैध अतिक्रमण पर नियंत्रण होगा, वहीं दूसरी ओर नगर निगम गुरूग्राम की आय का साधन भी बनेगा और सदर बाजार की parking समस्या का स्थायी समाधान मिल सकेगा। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–1बी/संयुक्त आयुक्त–1/सहायक अभियंता प्रवर्तन–1**	
4.	**23) श्री धर्मबीर भांगरोला, सदस्य वार्ड नं0 28ः–** क) शान्ति नगर बेरी वाला बांग, यहां पर Agriculture की जमीन खाली पडी थी। जनहीत में निगम के द्वारा यह जमीन आवश्यकता अनुसार खरीद की जाने और यहां पर एक कम्युनिटी सैन्टर व बच्चो के पढ़ने के लिए लाईब्रेरी बनाई जावें क्यों कि यहां पर शान्ति नगर, ओम नगर बड़ी कालोनियां लगती है तथा लाखो की सख्या में लोग रहते है। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–2बी/तहसीलदार** ख) खाण्डसा रोड पर तूड़ा मंडी होती थी आज वहां पर सब्जी मंडी लगती है। यह जमीन या तो हुडडा विभाग की है या कमेटी की, इसको भी खरीद कर यहां पर भी एक कम्युनिटी सैन्टर बनाया जाये, यहां पर शिवजी पार्क, हीरा नगर, गांधी नगर बड़ी–बड़ी कालोनियां लगती है। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार**	क) सदन द्वारा वार्ड के शान्ति नगर बेरी वाला बांग में सामूदायिक केन्द्र व लाईब्रेरी भवन का निर्माण करने की प्रस्तावना पर विचार किया गया कि सम्बन्धित भूमि कृषि विपणन विभाग, गुरूग्राम की मलकियत होने के कारण, मुख्य अभिंयता/कार्यकारी अभियंता–2बी/तहसीलदार को कृषि विपणन विभाग, गुरूग्राम की भूमि पर वर्णित भवनों के निर्माण की संभाव्यता (feasibility) रिपोर्ट निगम सदन की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–2बी/तहसीलदार** ख) इस प्रस्तावना पर तहसीलदार, नगर निगम द्वारा सदन को अवगत करवाय गया कि खाण्डसा रोड पर तूड़ा मंडी की भूमि कृषि विपणन विभाग, गुरूग्राम की है। सदन द्वारा मुख्य नगर योजनाकार को निर्देश दिये गये कि इस प्रस्तावना की संभाव्यता (feasibility) के मध्यनजर भूमि खरीद करने बारे रिपोर्ट निगम सदन की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार**
4.	**24) श्रीमति उषा वर्मा, सदस्य वार्ड नं0 29ः–** क) मेरे वार्ड नं0 29 मे सार्वजानिक शौचालय सुविधाओ की गंभीर कमी है, जिसके कारण वहा के व्यापारी भाईयो व दुकानदारो को काफी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। इस स्थिति के कारण कई	क) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। **कार्रवाईः– संयुक्त आयुक्त–स्वच्छ भारत मिशन**

Rajrani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	निवासी खुले में शौच करने को मजबूर है जो न केवल असामाजिक है बल्कि हमारे क्षेत्र के बच्चों और व्यस्को के स्वास्थ्य के लिए भी एक गंभीर खतरा है। इस लिए मेरे वार्ड में सभी सार्वजनिक शौचालयो का निर्माण मॉडल शौचालयो के तर्ज पर किया जाए ताकि वार्ड की जनता को उनकी मूल भूत सुविधा मिल सके। **कार्रवाईः– संयुक्त आयुक्त–स्वच्छ भारत मिशन**	
	ख) मेरे वार्ड नं0 29 बसई रोड पर कुटिया मन्दिर के पास लोगो द्वारा HSVP की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। जिस पर आये दिन कुडा कचरा डाला जाता हैं और अवैध पार्किंग के रूप में इस्तमाल किया जाता है। इस एरिये में बलदेव नगर व मनोहर नगर की लगभग 2 लाख की जनसख्या है जो कम्युनिटी सेंटर की सुविधा से वंचित है और इस क्षेत्र में बच्चो के खेलने और बुजुर्गो के घुमने फिरने के लिए कोई उचित स्थान नही है। कृपया इस जमीन से 2000 वर्ग गज जमीन MCG को स्थानांतरित करवा कर वहॉ वार्ड के लिए कम्युनिटी सेन्टर व पार्क का निर्माण किया जाए। ताकि आमजन को सुविधा मिल सके। इसलिए कृप्या जनहित में ये कार्य प्राथमिकता पर कराया जाए। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–2बी/संयुक्त आयुक्त–1/सहायक अभियंता प्रवर्तन–1** **अधीक्षक अभियंता–हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण**	ख) सर्वसम्मति से स्वीकृत है। सदन द्वारा वार्ड के बलदेव नगर व मनोहर नगर में सामूदायिक केन्द्र व पार्क के निर्माण की प्रस्तावना बारे निर्णय लिया गया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग की रिक्त पडी भूमि पर सामूदायिक भवन व पार्क का निर्माण विभाग स्वयं करें या सामूदायिक भवन व पार्क के निर्माण हेतू आवश्यक अनापति प्रमाण नगर निगम को जारी करें। इसके अतिरिक्त बसई रोड पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की रिक्त पडी भूमि पर किये गये अवैध कब्जों तथा कूडा कर्कट डालने बारे विभाग संज्ञान ले। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग के उपस्थित अधिकारी द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि इस भूमि पर केस माननीय न्यायलाय में लम्बित है तथा सदन को आश्वासन दिया गया कि सम्बन्धित भूमि पर एकत्रित कूडा कचरा व सी0एन0डी0 वेस्ट को हटवाने की कार्रवाई शीघ्र कर दी जाये। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–2बी/संयुक्त आयुक्त–1/ सहायक अभियंता प्रवर्तन–1** **अधीक्षक अभियंता–हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

4.	**25) श्री दलीप साहनी, सदस्य वार्ड नं0 31:–** क) सोहना चौक से सैक्टर–4, 7 के चौक तक नगर निगम द्वारा सीवर व पानी के लाईन डलवाई जायें क्योंकि यह 8 इंची लाईन जो मास्टर लाईन है जो 50 वर्ष पुरानी है। इस लाईन पर 12 कालोनियों का सिवर व पानी आता है। इस शीघ्र अति शीघ्र बनवाया जायें। **कार्रवाई:– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–3बी गुरूग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण** ख) वार्ड नं0 31 की दयानन्द कालोनी में कोई पार्क व कम्युनिटि सेन्टर की व्यवस्था नही है। वार्ड से लगती हुड्डा विभाग की जमीन पड़ी हुई है अनुरोध है कि इस जमीन को खरीद कर या फिर विभाग से सहमति पत्र लेकर इसमें पार्क तथा सामुदायिक केन्द्र बनवाया जायें। **कार्रवाई:– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–3बी अधीक्षक अभियंता–हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण**	क) इस प्रस्तावना पर सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि सोहना चौक से सैक्टर–4, 7 के चौक तक की सडक गुरूग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम के अधिकार क्षेत्र में है। सम्बन्धित विभाग से समन्वय करके सीवर लाईन का प्लान तैयार करवाकर कार्रवाई की जायेगी। **कार्रवाई:– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–3बी गुरूग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण** ख) सदन द्वारा वार्ड के दयानन्द कालोनी में सामूदायिक केन्द्र व पार्क के निर्माण की प्रस्तावना बारे निर्णय लिया गया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग की रिक्त पडी भूमि पर सामूदायिक भवन व पार्क का निर्माण विभाग स्वयं करें या सामूदायिक भवन व पार्क के निर्माण हेतू आवश्यक अनापति प्रमाण नगर निगम को जारी करें। **कार्रवाई:– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–3बी अधीक्षक अभियंता–हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण**
4.	**26) श्रीमति सारिका प्रशांत भारद्वाज, सदस्य वार्ड नं0 33:–** क) लक्ष्मण विहार पंजीरी प्लांट में सामुदायिक भवन हेतु जमीन अधिग्रहण या खरीद की जाए। **कार्रवाई:– मुख्य नगर योजनाकार/तहसीलदार**	क) इस प्रस्तावना पर मुख्य नगर योजनाकार द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि लक्ष्मण विहार में निर्मित पंजीरी प्लांट की साईट पर माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा की पालना में, सामूदायिक केन्द्र का निर्माण किया जाना प्रस्तावित हुआ था। पंजीरी प्लांट की भूमि महिला बाल विकास की मलकियत है। इस विभाग द्वारा पंजीरी प्लांट की भूमि नगर निगम को देने में असहमति व्यक्त की है। विचार करने उपरान्त सदन द्वारा मुख्य नगर योजनाकार/तहसीलदार को लक्ष्मण विहार में सामूदायिक केन्द्र का निर्माण करने हेतू अन्य भूमि तलाश कर, उसे

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	ख) सैक्टर चार में सीवर लाइन लगभग चालीस से पैंतालीस वर्ष पुरानी है, जिसका एस्टीमेट बनाकर ड्रेनेज सीवर, सड़क और पानी की व्यवस्था की जाए। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–2ए**	अधिग्रहित या खरीद करने बारे केस तैयार करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार/तहसीलदार** ख) इस प्रस्तावना पर सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि सैक्टर चार में सीवर लाईन डालने बारे मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–2ए मौका निरीक्षण करके संभाव्यता (feasibility) बारे रिपोर्ट निगम सदन की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–2ए**
4.	**27) श्रीमति सुरेखा चौहान, सदस्य वार्ड नं0 34:–** क) वार्ड न0 34 में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा नहीं है। बहुत बडी आबादी का क्षेत्र होने के बावजुद भी बाबा साहेब की एक भी प्रतिमा नही है। रिजर्व सीट होने के बाद भी वार्ड के लोगो को दुसरे वार्डो में जाना पडता है। आपसे निवेदन है कि मेरे वार्ड न0 34 में भीमराव आम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाई जाए। पानी का जो बुंस्टर है शनि मंदिर के पास में वहॉ पर लगभग दो सौ गज जमीन खाली है। उसमें प्रतिमा और पार्क सौन्द्रयकरण भी हो जाए जो अति आवश्यक है। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–मुख्यालय** ख) सुरत नगर में कोई भी सामुदायिक भवन नहीं है। सूरत नगर में 300 वर्ग गज के ऐरिये में छोटा सा सामुदायिक भवन बना हुआ है। जिसको तीन मंजिला बनाया जाए। जिससे वार्ड के लोगो को सुविधा मिले सके। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–2ए**	वार्ड नं0 34 में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा लगाने बारे निर्णय लिया गया कि प्रतिमा स्थापित करने बारे बनाई गई नीति एवं नियमों का अध्ययन करवाकर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जायेगी। **कार्रवाईः– कार्यकारी अभिंयता–मुख्यालय** ख) इस प्रस्तावना पर सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि सुरत नगर के सामूदायिक भवन का मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–2ए मौका निरीक्षण करके संभाव्यता (feasibility) बारे रिपोर्ट निगम सदन की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभिंयता–2ए**
5.	**<u>सदन की बैठक 11.05.2026 हेतू सामूहिक ऐजन्डा बिन्दुः–</u>** **i.** अतिरिक्त उपायुक्त, गुरूग्राम कार्यालय के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में नागरिक सुविधा केन्द्र/सार्वजनिक सेवा केन्द्र (CFC/CSC) स्थापित करने बारे विचार।	**i.** अतिरिक्त आयुक्त–2 द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि निगम क्षेत्र के सभी 36 वार्डो में नागरिक सुविधा केन्द्र/सार्वजनिक सेवा केन्द्र (CFC/CSC) स्थापित करने बारे विचाराधीन है, जिन्हें चरणों

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	कार्रवाईः– अतिरिक्त आयुक्त–2	में किया जायेगा। प्रथम चरण में निगम के वार्ड नं0 3, 10, 13, 18, 22, 23, 25, 29, 30, व माननीया महापौर के कैम्प कार्यालय कुल 10 स्थानों पर नागरिक सुविधा केन्द्र/सार्वजनिक सेवा केन्द्र (CFC/CSC) स्थापित किया जाना है। सम्बन्धित सार्वजनिक सेवाओं हेतू CFC/CSC के केन्द्रो पर नगर निगम व अतिरिक्त उपायुक्त, कार्यालय गुरूग्राम के माध्यम से स्टाफ की तैनाती भी की जायेगी। सदन को सूचित हुआ। **कार्रवाईः– अतिरिक्त आयुक्त–2**
ii.	श्री नरेश कुमार शर्मा, कादीपुर चौक से प्राप्त अनुरोध कि सामूदायिक केन्द्र कादीपुर के नजदीक लगभग 200 वर्ग गज पडी रिक्त भूमि पर श्री राधा रसिक बिहारी मंदिर के निर्माण बारे विचार। मंदिर के निर्माण करवाने के लिये पूर्व में दिनांक 06.08.2015 को सदन की बैठक श्री रविन्द्रर कटारिया, सदस्य के माध्यम से प्रस्ताव रखा गया था जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृति भी किया गया था, परन्तु मंदिर का निर्माण अभी भी लम्बित है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ करवाया जाये। **कार्रवाईः– मुख्य अभिंयता**	**ii.** सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। **कार्रवाईः– मुख्य अभिंयता**
iii.	श्री अश्वनी वर्मा, न्यू कॉलोनी मोड़, गुरुग्राम (SCO सं0 1, 2 एवं 3) के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर विचार। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार**	**iii.** सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई तथा (SCO सं0 1, 2 एवं 3) के सम्बंध में नियमानुसार कार्रवाई करने बारे मुख्य नगर योजनाकार को निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	iv. डोर टू डोर कचरे के उठान के भुगतान/जलापूर्ति के बिल व सम्पति कर इत्यादि की अदायगी के लिये प्रत्येक भवन के मुख्य द्वार पर स्कैनर की व्यवस्था करवाने हेतु विचार। । **कार्रवाईः– अतिरिक्त आयुक्त–1/संयुक्त आयुक्त–स्वच्छ भारत मिशन**	**iv.** सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। **कार्रवाईः– अतिरिक्त आयुक्त–1/संयुक्त आयुक्त–स्वच्छ भारत मिशन**
	v. शहर में चार और नये CND Waste Plant स्थापित करने के संबंध में विचार। **कार्रवाईः– अतिरिक्त आयुक्त–1/संयुक्त आयुक्त–स्वच्छ भारत मिशन**	**v.** सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। **कार्रवाईः– अतिरिक्त आयुक्त–1/संयुक्त आयुक्त–स्वच्छ भारत मिशन**
	vi. निगम के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों परियोजनाओं पर प्रभावी ढंग से विचार–विमर्श एवं त्वरित निर्णय लेने हेतू नगर निगम अधिनियम में वर्णित, तदर्थ समितियां के गठन के संबंध में विचार।	**vi.** नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 40 (2) में तदर्थ समितियों के गठन हेतू प्रावधान किया गया है। जबकि हरियाणा म्युनिसिपल बिजनैस बाई लाज 2009 में वर्णित धारा 24 में तदर्थ समितियों का गठन चुनाव के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि तदर्थ समितियों का गठन चुनाव के माध्यम से करवाया जाना उचित होगा, तबतक इस प्रस्ताव को लम्बित रखा जाये।
	vii. माडल रोड–राज महल होटल (न्यू कालोनी मोड, मदनपूरी शमशान रोड) से पटोदी चौक तक के विषय में (इस सम्बन्ध में पूर्व सदन की बैठक में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है)। **कार्रवाईः–मुख्य अभियंता**	**vii.** सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। **कार्रवाईः–मुख्य अभियंता**
	viii. Representation regarding naming of Sector-45 Road (Road Asset ID-37), Gurugram as "Vishwa Guru Shri Prabhupad Marg" **कार्रवाईः– कार्यकारी अभियंता मुख्यालय**	**viii.** सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। **कार्रवाईः– कार्यकारी अभियंता मुख्यालय**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	ix. सभी सम्मानित सदस्यगण के माध्यम से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि प्रत्येक वार्ड में किये गये कार्यो के भुगतान हेतू वार्ड प्रार्षद का सन्तुष्टि प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। इसे भविष्य में लागू किया जाये। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/मुख्य लेखा अधिकारी** **x.** सभी सम्मानित सदस्यगणों द्वारा अनुरोध किया गया है कि चौपाल व शमशान घाट जैसे स्थलों के निर्माण हेतू मालिकाना जांच न की जाये, बल्कि वहां विकास कार्य किये जाये, क्योंकि यह समाज की आवश्यकता हैं। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता**	**ix.** इस प्रस्तावना को लम्बित रखा गया। **x.** सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि केवल शमशान घाट स्थलों को विकसित करने बारे मालिकाना जांच ना करने की स्वीकृति, सर्वसम्मति से प्रदान की गई। **कार्रवाईः–मुख्य अभियंता**
6.	**<u>अन्य महापौर की अनुमति से।</u>** हरियाणा विकास वन निगम लिमिटेड, गुरूग्राम कार्यालय के पत्र कमांक एफ–1–14/50 दिनांक 29.09.2025 व पत्र कमांक A-IX-31/266-267 दिनांक 27.01.2026 के माध्यम से संज्ञान में लाया गया है कि गावं भौडण्सी में स्थित लगभग 588.5 एकड भूमि को भौडण्सी पंचायत द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चन्द्र शेखर के भारत यात्रा केन्द्र ट्रस्ट को सौंपा गया था, जिसे बाद में माननीय उच्चतम न्यायलाय के आदेषों की पालना में सरकार को पुनः वापिस वर्ष 2001 में ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया था। तत्पश्चात् यह भूमि वन विभाग हरियाणा द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत वर्ष 2004 में सुरक्षित वन घोषित कर दी गई थी । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश में लिखा था कि 500 एकड़ भूमि वन भूमि मानी जाएगी तथा शेष 88.5 एकड़ भूमि पर ऐसी गतिविधि की जाएगी जिससे पंचायत की आय हो । वन भूमि घोषित होने की वजह से इस भूमि पर हरियाणा वन विकास निगम द्वारा इको–टूरिज्म केन्द्र बनाने का प्रस्ताव बनाया गया जो ग्राम पंचायत	वन विभाग के वन संरक्षक, गुरूग्राम एवं मुख्य महाप्रबन्धक, हरियाणा विकास वन निगम लिमिटेड, गुरूग्राम के अधिकारी श्री सुभाष यादव, भा0व0से0 ने स्वयं बैठक में उपस्थित होकर सदन को बताया कि **"भौडण्सी नेचर कैम्प"** को एक आधुनिक व आर्कषक रूप देने, कैम्प का संचालन, बुनियादी ढांचे में सुधार और शहर में ईको पर्यटन को बढावा देने के उद्देश्य से इस भूमि का प्रबंधन तीसरी पार्टी के माध्यम से करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये निविदाएं भी आमंत्रित की जा चुकी हैं तथा उनकी तकनीकि बिड और उनकी जांच की प्रकिया का कार्य किया जा रहा है। गांव भौडण्सी वर्तमान में नगर निगम, गुरूग्राम की सीमा में शामिल हो चुका है और लगभग 88.5 एकड भूमि के रकबे पर स्थित **"भौडण्सी नेचर कैम्प"** में प्रस्तावित गतिविधियों से होने वाली आय का 50 प्रतिशत भाग नगर निगम, गुरूग्राम को व 50 प्रतिशत भाग

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	के प्रस्ताव पर आधारित था, जिसके तहत कुल आय का बंटवारा 50:50 के अनुपात में होना था । इस प्रस्ताव को सरकार द्वारा भी अनुमोदित किया जा चुका था तथा 17 जून 2017 को इसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहरलाल जी द्वारा किया गया था । परन्तु बाद में यह गांव नगर निगम गुरूग्राम के अन्तर्गत आ गया तथा उस दौरान की जाने वाली गतिविधियां रूक गई थी । वर्तमान में निदेशक मण्डल , हरियाणा विकास वन निगम लिमिटेड की 143 वीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि **"भौडण्सी नेचर कैम्प"** को एक आधुनिक व आर्कषक रूप देने, कैम्प का संचालन, बुनियादी ढांचे में सुधार और शहर में ईको पर्यटन को बढावा देने के उद्देश्य से इस भूमि का प्रबंधन तीसरी पार्टी के माध्यम से करवाया जाना तय किया गया है, जिसके लिये निविदाएं भी आमंत्रित की जा चुकी हैं तथा उनकी तकनीकी बिड और उनकी जांच की प्रक्रिया का कार्य किया जा रहा है। गांव भौडण्सी वर्तमान में नगर निगम, गुरूग्राम की सीमा में शामिल हो चुका है और लगभग 88.5 एकड भूमि के रकबे पर स्थित **"भौडण्सी नेचर कैम्प"** से होने वाली आय का 50 प्रतिषत भाग नगर निगम, गुरूग्राम को व 50 प्रतिशत भाग हरियाणा विकास वन निगम लिमिटेड, गुरूग्राम को दिया जाना प्रस्तावित है । हरियाणा विकास वन निगम लिमिटेड, गुरूग्राम द्वारा इस प्रस्तावना को नगर निगम की सामान्य बैठक में अनुमोदन हेतू रखने का अनुरोध किया गया है ताकि **"भौडण्सी नेचर कैम्प"** के स्वरूप को विकसित करने के लिये आमंत्रित की गई निविदाएं की प्रक्रिया में प्रशासनिक देरी ना हो। हरियाणा वन विकास निगम द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि पूरी प्रक्रिया में सहभागिता के लिए नगर निगम, गुरूग्राम का एक प्रतिनिधि भी कमेटी में मनोनीत किया जाए ।	हरियाणा विकास वन निगम लिमिटेड, गुरूग्राम को देने बारे विस्तार से अवगत करवाया गया। **सदन द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त "भौडण्सी नेचर कैम्प"** के विकास और शहर में ईको पर्यटन को बढावा देने के उद्देश्य के मध्यनजर सर्वसम्मति से स्वीकति प्रदान की गई तथा संयुक्त उपायुक्त स्तर के एक अधिकारी को हरियाणा वन विकास निगम द्वारा गठित कमेटी में मनोनीत करने की सिफारिश की गई । **कार्रवाईः– श्री सुभाष यादव, भा0व0से0, वन संरक्षक, दक्षिणी, परिमण्डल गुरूग्राम एवं मुख्य महाप्रबन्धक, हरियाणा विकास वन निगम लिमिटेड।**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

बैठक के दौरान सम्मानित सदस्यगणों द्वारा उठाये गये मुददो का विवरण निम्न प्रकार है:–

7.	**श्रीमति ज्योत्सना यादव, सदस्य, वार्ड नं0 2:–** i) उनके द्वारा सदन के संज्ञान में लाया गया कि गर्मी मौसम के मध्यनजर जनसाधारण के पीने के लिये डी0एल0एफ0 क्षेत्र में वाटर कूलर व टंकी लगाई गई थी, परन्तु श्री अमित माधोलिया, डी0टी0पी0 प्रवर्तन द्वारा अतिक्रमण हटवाने के दौरान उस वाटर कूलर व टंकी को तोड दिया गया, उनसे प्रार्थना करने पर भी वाटर कूलर व टंकी को हटवाने का समय भी नहीं दिया गया, जिससे आर्थिक हानि तो हुई ही बल्कि जनसाधारण व आम नागरिक को पीने के पानी की सुविधा से वंचित होना पडा।	सदन द्वारा श्री अमित माधोलिया, डी0टी0पी0 प्रवर्तन के इस कृत्य की घोर निदां की गई तथा श्री अमित माधोलिया, डी0टी0पी0 प्रवर्तन के विरूद्व निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
8.	**श्री राकेश यादव, सदस्य, वार्ड नं0 3:–** **i)** उनके वार्ड में दिल्ली रोड व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम की भूमि पर कूडा कचरा व मलबा डालकर डम्प यार्ड बना दिया गया है, इस कूडा कचरा व मलबे को हटवाने बारे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से कार्रवाई करवाई जाये तथा दिल्ली रोड के क्षतिग्रस्त भाग का निर्माण करवाया जाये। **कार्रवाई:– सम्पदा अधिकारी–1 व अधीक्षक अभियंता–हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम**	सदन द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम विभाग से उपस्थित हुए सम्पदा अधिकारी–1 व अधीक्षक अभियंता–हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम को प्रस्तावित मुददे पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम विभाग से उपस्थित अधिकारियों द्वारा सदन को इस मुददे पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। **कार्रवाई:– सम्पदा अधिकारी–1 व अधीक्षक अभियंता–हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम**
	ii) उनके वार्ड में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम विभाग का पार्क है, जिसमें बने हुए कमरे में उनके विभाग का ही कर्मचारी रह रहा है। इसलिये इस पार्क का प्रयोग जन साधारण करने से वंचित है। इस कमरे को खाली करवाने और पार्क को जनसाधारण के प्रयोग के लिये खोल दिये जाने बारे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम विभाग से कार्रवाई करवाई जाये। **कार्रवाई:– सम्पदा अधिकारी–1 व अधीक्षक अभियंता–हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम**	सदन द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम विभाग से उपस्थित हुए सम्पदा अधिकारी–1 व अधीक्षक अभियंता–हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम को प्रस्तावित मुददे पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाई:– सम्पदा अधिकारी–1 व अधीक्षक अभियंता–हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

9.	**श्री रामअवतार राणा, सदस्य, वार्ड नं0 05:–** **i)** वार्ड नं0 5 के गांव बजघेडा में सीवर के पानी की पाईप लाईन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन एस0टी0पी0 का निर्माण समय पर ना होने के कारण पूरा गावं सीवर के पानी की ओवरफलों की समस्या से परेशान है, क्योंकि जहां गावं का सीवर का पानी एच0सी0जी0 द्वारा कच्ची ड्रैन खोद कर लेग–2 में डाला जा रहा था वह भी जीएमडीए द्वारा बरसाती नाले के निर्माण कार्य के दौरान रोक दिया गया है जबकि जीएमडीए द्वारा नाले निर्माण के साथ सीवर के पानी का डाईबर्जन बनाना उनकी जिम्मेदारी बनती है। अतः पुनः अनुरोध है कि आगामी कार्य करने से पहले या तो जी0एम0डी0ए0 नाले का डाईवर्जन बनाकर दे या फिर एसटीपी का निर्माण कार्य पूर्ण करें।	सम्बन्धित बिन्दु पर निगम की दिनांक 12.11.2025 को हुई सामान्य बैठक में अधीक्षक अभियंता, गुरूग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण द्वारा सदन को अवगत करवाया गया था कि गांव बजघेडा में सीवर के पानी की पाईप लाईन का कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तथा आगामी मार्च तक एस0टी0पी0 का कार्य भी पूर्ण कर लिया जायेगा। सदन द्वारा सम्बन्धित अधिकारी से यह अनुरोध किया गया था कि गुरूग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण के सम्बन्धित अधिकारी वार्ड नं0 5 के सम्मानित सदस्य के साथ समन्वय करके, संयुक्त मौका निरीक्षण करेगें और जल भराव की समस्या के निदान व अन्य समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चित करेगें। परन्तु इस बारे सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सदन द्वारा इस प्रस्तावना पर मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–2ए को निर्देश दिये गये कि गुरूग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण से समन्वय करके आगामी कार्रवाई करें। **कार्रवाईः–मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–2ए** **कार्यकारी अभियंता–जी0एम0डी0ए0**
10.	**श्री नारायण भडाना, सदस्य, वार्ड नं0 20:–** **i)** उनके वार्ड में बुस्टिंग स्टेशन/टुयुबवैल पर जलापूर्ति हेतू लगाई गई मोटर आय दिन जल जाती है क्योकि इन मोटरों को चलाने/बंद करने के लिये किसी भी कर्मचारी की तैनाती नहीं है। मोटर चला तो दी जाती है परन्तु उन्हें बंद नहीं किया जाता। जिससे मोटर जल जाती है इन जली हुई मोटरों को समय पर ना बदलने के कारण जलापूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है और जनसाधारण को परेशानी का सामना करना पडता है तथा अनुरोध किया कि निगम क्षेत्र के सभी बुस्टिंग स्टेशन/टुयुबवैल पर कर्मचारी की तैनाती की जाये। **कार्रवाईः– अतिरिक्त आयुक्त–1**	सदन द्वारा अतिरिक्त आयुक्त–1 को निर्देश दिये गये कि इस प्रस्तावना पर संज्ञान लेकर बुस्टिंग स्टेशनों/टुयुबवैलों पर लगी जलापूर्ति मोटरों को चलाने एवं बंद करने के लिये आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की तैनाती करने बारे कार्रवाई करें। **कार्रवाईः– अतिरिक्त आयुक्त–1**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

11.	**श्रीमति सोनिया यादव, सदस्य, वार्ड नं. 21:–** **i)** उनके वार्ड में एक MRF Center (Material Recovery Facility) की स्थापना करवाई जाये, क्योंकि उनके वार्ड में नगर निगम की कोई भूमि उपलब्ध नहीं है, इसलिये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से भूमि की खरीद कर MRF का निर्माण करवाया जाये।	सदन द्वारा विचारोंपरान्त वार्ड नं0 21 में MRF का निर्माण करवाने के लिये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम विभाग से भूमि की खरीद करने हेतू व इस परियोजन की आवश्यकता के मध्यनजर निम्न समिति का गठन किया गया:– 1. अतिरिक्त आयुक्त–3, नगर निगम, गुरूग्राम। 2. मुख्य अभियंता, नगर निगम, गुरूग्राम। 3. मुख्य नगर योजनाकार, नगर निगम, गुरूग्राम। 4. तहसीलदार, नगर निगम, गुरूग्राम।
	ii) सदस्य वार्ड नं0 21 द्वारा प्रस्तावना की गई कि निगम क्षेत्र में स्थित पार्को की देख–रेख का कार्य वार्ड समितियों को सौंपा जाये ताकि उनकी दशा में सुधार किया जा सकें। **कार्रवाई:– कार्यकारी अभियंता बागवानी–1 व 2**	सदन द्वारा विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रस्तावना पर सरकार से मार्ग दर्शन ले लिया जाये। **कार्रवाई:– कार्यकारी अभियंता बागवानी–1 व 2**
	iii) उनके वार्ड में दो नए सामूदायिक केन्द्र, सेक्टर–52 व सेक्टर–57 में निर्माण करवाया जाये। **कार्रवाई:– मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता–हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण/कार्यकारी अभिंयता–4ए**	सदन द्वारा सैक्टर–52 व सैक्टर–57 में सामूदायिक केन्द्र के निर्माण की प्रस्तावना बारे निर्णय लिया गया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग की रिक्त पडी भूमि पर सामूदायिक भवन का निर्माण विभाग स्वयं करें या सामूदायिक भवन के निर्माण हेतू आवश्यक अनापति प्रमाण पत्र नगर निगम को जारी करें। **कार्रवाई:– मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता–हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण/कार्यकारी अभिंयता–4ए**
12.	**श्री विकास यादव, सदस्य, वार्ड नं0 22:–** **i)** प्रस्तावना की गई कि नगर निगम क्षेत्र में स्थित समस्त भूमि का ब्यौरा, राजस्व शाखा से प्राप्त करके सदस्यगण को उपलब्ध करवाया जाये।	सदन द्वारा तहसीलदार, नगर निगम, गुरूग्राम को नगर निगम क्षेत्र में स्थित समस्त भूमि का ब्यौरा, सभी सदस्यगण को उपलब्ध करवाने बारे निर्देश दिये गये। **कार्रवाई:– तहसीलदार, नगर निगम, गुरूग्राम**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

13.	**श्री कुनाल यादव, सदस्य, वार्ड नं0 23:–** **i)** मारूति विहार का सामूदायिक केन्द्र नगर निगम अपने अधिकार में लेवें। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार** **ii)** उनके वार्ड में सडक बनाने का कार्य किया जा रहा है, परन्तु अभी उसे पूरा नहीं किया गया है, जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही है। इसके मध्यनजर सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्व कार्रवाई की जाये। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4बी** **iii)** उनके वार्ड मे फरीदाबाद सडक के दोनों और मलबा (सी0एण्ड0डी0 वेस्ट) पडा हुआ है, उसे उठवाने की कार्रवाई की जाये। **कार्रवाईः– कार्यकारी अभियंता–(सी0एण्ड0डी0 वेस्ट)** **iv)** निगम क्षेत्र के सीवरेज लाईनों की समुचित सफाई करवाने के लिये सीवर सफाई मशीनों की व्यवस्था की जाये। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4बी** **v)** उनके वार्ड में लगाये हुए ट्रैक्टर की अदायगी नहीं की जा रही है, जिसका समर्थन वार्ड नं0 26 की सदस्य व अन्य वार्डो के सदस्यों द्वारा भी किया गया कि उनके वार्डो में भी लगाये गये ट्रैक्टर की अदायगी समय पर नहीं की जा रही है। **कार्रवाईः– अतिरिक्त आयुक्त–3**	• इस प्रस्तावना पर सदन द्वारा मुख्य नगर योजनाकार, नगर निगम, गुरूग्राम को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– मुख्य नगर योजनाकार** • इस प्रस्तावना पर सदन द्वारा मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4बी, नगर निगम, गुरूग्राम को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4बी** • इस प्रस्तावना पर सदन द्वारा कार्यकारी अभियंता–(सी0एण्ड0डी0) नगर निगम, गुरूग्राम को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– कार्यकारी अभियंता–(सी0एण्ड0डी0 वेस्ट)** • इस प्रस्तावना पर सदन द्वारा मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4बी, नगर निगम, गुरूग्राम को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4बी** • सदन द्वारा अतिरिक्त आयुक्त–3 को निर्देश दिये गये कि इस प्रस्तावना पर संज्ञान लेकर विभिन्न वार्डो में लगाये गये ट्रैक्टरों की अदायगी करवाने बारे कार्रवाई करें। **कार्रवाईः– अतिरिक्त आयुक्त–3**
14.	**श्री अनूप सिंह, सदस्य, वार्ड नं0 25** द्वारा अनुरोध किया गया कि निगम क्षेत्र में टाउन वेंडिग समिति का जितना जल्दी हो सके गठन किया जावे। **कार्रवाईः– शहरी परियोजना अधिकारी**	इस प्रस्तावना पर सदन द्वारा शहरी परियोजना अधिकारी, नगर निगम, गुरूग्राम को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– शहरी परियोजना अधिकारी**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

15.	**श्रीमति सुनीता रानी, सदस्य, वार्ड नं0 26:–** **i)** माता मंदिर के समक्ष बने नाले की सफाई के नितांत आवश्यकता है अन्यथा जलभराव की समस्या पुनः होने की सम्भावना होगी। **कार्रवाई:– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4बी**	इस प्रस्तावना पर सदन द्वारा मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4बी, नगर निगम, गुरूग्राम को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाई:– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4बी**
	ii) उनके वार्ड के 900 मीटर एरिया में जलापूर्ति की लाईनें डलवाने की व्यवस्था करवाई जाये। **कार्रवाई:– कार्यकारी अभियंता जलापूर्ति (डब्लू0एस0एस0)**	सदन द्वारा सम्मानित सदस्य को अवगत करवाया गया कि 900 मीटर प्रतिबंधित एरिया में जलापूर्ति की लाईनें सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नहीं डलवाई जा सकती, अपितू उक्त क्षेत्र में जलापूर्ति के लिये केवल स्टैण्ड पोस्ट उपलब्ध करवाये जा सकते है तथा कार्यकारी अभियंता जलापूर्ति (डब्लू0एस0एस0) को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाई:– कार्यकारी अभियंता जलापूर्ति (डब्लू0एस0एस0)**
	iii) दिल्ली रोड को माडल रोड के रूप में विकसित किया जाये। **कार्रवाई:– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4बी**	इस प्रस्तावना पर सदन द्वारा मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4बी, नगर निगम, गुरूग्राम को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाई:– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4बी**
16.	**श्री आशीष गुप्ता, सदस्य, वार्ड नं0 27:–** **i)** सदर बाजार में संचालित किये जा रहे शराब के ठेकों को जनहित में हटवाया जाये। **कार्रवाई:– अतिरिक्त आयुक्त–3/उप आबकारी कर अधिकारी, डी0ई0टी0सी0, गुरूग्राम।**	निगम आयुक्त द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि शहरी क्षेत्रो में शराब के ठेकों को आबकारी व कराधान विभाग, नीति अनुसार आवंटित करता है। सदन द्वारा विचार विर्मश करके निर्णय लिया गया कि सदर बाजार में संचालित किये जा रहे शराब के ठेकों को जनहित में हटवाने बारे उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरूग्राम से पत्राचार करके रिपोर्ट प्राप्त करना सुनिश्चित करें। **कार्रवाई:– अतिरिक्त आयुक्त–3/उप आबकारी कर अधिकारी, डी0ई0टी0सी0, गुरूग्राम।**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

17.	**श्री धर्मबीर भांगरोला, सदस्य, वार्ड नं0 28:–** **i)** वार्ड नं0 28 व 29 में पानी की निकासी हेतू नाले का निर्माण किया गया है परन्तु इसे आगे कही जोडा नहीं गया है, इस पर संज्ञान लिया जाये। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–2बी**	इस प्रस्तावना पर सदन द्वारा मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–4बी, नगर निगम, गुरूग्राम को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–2बी**
	ii) कनिष्ठ अभियंताओं को निर्देश दिये जाये कि सप्ताह में दो दिन सम्बन्धित वार्ड के सदस्य के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें ताकि वार्ड कार्य शीघ्रता से हो सके। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता**	इस प्रस्तावना पर सदन द्वारा मुख्य अभियंता नगर निगम, गुरूग्राम को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता**
	iii) राजीव कालोनी के अनियमित क्षेत्र में मुलभूत सुविधाएं नहीं जा रही है, कम से कम जलापूर्ति एवं सीवरेज की सुविधा प्रदान की जाये।	निगम आयुक्त द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि अनियमित क्षेत्रों में सरकार की नीति अनुसार, जनसाधारण को किसी भी प्रकार की मूलभुत सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती।
	iv) श्री आर0एस0 राठी, ठेकेदार को बैल्क लिस्ट करवाया जाये तथा उसके द्वारा किये गये किसी भी कार्य की कोई अदायगी ना की जाये। क्योकि ठेकेदार नियमानुसार कार्य ना करके अपनी मर्जी से कार्य करते है। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता**	सदन द्वारा मुख्य अभियंता नगर निगम, गुरूग्राम को निर्देश दिये गये कि इस प्रस्तावना पर संज्ञान लेकर नियमानुसार कार्रवाई करें। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता**
18.	**श्रीमति सुरेखा, सदस्य, वार्ड नं0 34:–** **i)** माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वार्ड नं0 34 में शमशान घाट का निर्माण करने बारे घोषणा की गई थी, परन्तु अभी तक वार्ड नं0 34 में शमशान घाट का निर्माण करने बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई है।	इस प्रस्तावना पर तहसीलदार, नगर निगम द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि वार्ड नं0 34 में नगर निगम की भूमि उपलब्ध नहीं है। वार्ड नं0 34 में नगर निगम की भूमि उपलब्धता ना होने के कारण सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि शमशान घाट का निर्माण किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता।
19.	**श्रीमति रेखा, सदस्य, वार्ड नं0 36:–** **i)** उनके वार्ड में सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है, सफाई कर्मचारियों की संख्या बढाई जाये। **कार्रवाईः– संयुक्त आयुक्त–स्वच्छ भारत मिशन**	सदन द्वारा संयुक्त आयुक्त–स्वच्छ भारत मिशन को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **कार्रवाईः– संयुक्त आयुक्त–स्वच्छ भारत मिशन**

Raj Rani Malhotra
MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

	ii) उनके वार्ड में स्थित स्कूलों की हालात बहुत खराब है, छात्र/छात्रों को बैठने के लिये भी कमरे उपलब्ध नहीं है। इन स्कूलों के शौचालयों की स्थिति भी दयनीय है उनमें सफाई करवाने का कोई प्रबंध नहीं है। इसके मध्यनजर स्कूलो में कमरों का निर्माण व शौचालायों की मरम्मत एवं सफाई व्यवस्था के लिये सफाई कर्मचारियों/चौकीदारों की तैनाती की जाये। **कार्रवाईः– जिला शिक्षा अधिकारी/खण्ड विकास शिक्षा अधिकारी, गुरूग्राम।**	सदन द्वारा विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया कि स्कूलों की दशा सुधारने उनमें आवश्यकतानुसार कमरों का निर्माण व शौचालायों की सफाई इत्यादि का दायित्व जिला शिक्षा विभाग का होता है, इसलिये इस प्रस्तावना पर कार्रवाई करने हेतू प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी/खण्ड विकास शिक्षा अधिकारी को भेजा जाये। **कार्रवाईः– जिला शिक्षा अधिकारी/खण्ड विकास शिक्षा अधिकारी, गुरूग्राम।**
	iii) उनके वार्ड में सैनी चौपाल व शमशान घाट का निर्माण करवाया जाये। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–3बी**	सदन के संज्ञान में लाया गया कि वार्ड नं0. 36 में जहां पर सैनी चौपाल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है व भूमि नगर निगम की नहीं है। सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility (CSR) के माध्यम से सैनी चौपाल का निर्माण करवाया जाये। शमशान घाट का निर्माण एवं सौन्दर्यकरण, नगर निगम अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुरूप नगर निगम कोष से करवाया जाना सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। **कार्रवाईः– मुख्य अभियंता/कार्यकारी अभियंता–3बी**

बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

Rajrani Malhotra

MAYOR
MUNICIPAL CORPORATION
GURUGRAM

(राज रानी)
महापौर, नगर निगम, गुरुग्राम

दिनांकः– 11.05.2026